ORDITE GENERAL CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका (जून 2022 तक संशोधित)

A BOOKLET ON WELFARE SCHEMES (CORRECTED UPTO JUNE 2022)

महानिदेशालय, केरिपुबल DIRECTORATE, CRPF

लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

संदेश

मुझे ''सेवारत/सेवानिवृत्त केरिपुबल कार्मिकों एवं केरिपुबल के मृत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को केरिपुबल/सरकारी निधियों से दिए जाने वाले लाभ पर संशोधित संग्रह पुरितका को जारी करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

केरिपुबल के अधिकारियों एवं जवानों की दिन-रात तैनाती के कारण समय-समय पर सरकार एवं विभाग द्वारा उनको दी जाने वाली आर्थिक पात्रताओं के बारे में उन्हें बहुत ही कम जानकारी होती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसी संक्षिप्त पुस्तिका तैयार की जाए जिसमें केरिपुबल के सभी कार्मिकों को देय लाभों संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो। यह पुरितका सारगर्भित है जिसमें सेवारत/सेवानिवृत्त केरिपुबल कार्मिकों एवं केरिपुबल के मृत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को सरकारी एवं केरिपुबल निधियों से प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को अलग-अलग दर्शाया गया है।

इस कल्याण पुरितका को अद्यतन करने के लिए श्री पंकज कुमार उप महानिरीक्षक (कल्याण) एवं महानिदेशालय की कल्याण शाखा के संबंधित स्टॉफ ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस मार्गदर्शक पुरितका द्वारा सरकार एवं विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी पूरी तरह उपलब्ध होगी। इस प्रयास का लाभ तभी सार्थक हो पाएगा जब वृहद् प्रचार के द्वारा सबसे निचले पद के कार्मिक को इसकी जानकारी मिलेगी। ENTRAL RESERVE POLICE FORCE
(कुलदीप रि
महानिदेश

(कुलदीप सिंह) महानिदेशक

MESSAGE

I am immensely pleased on the compilation of this revised compendium on "Benefits being given out of CRPF/Government Funds to the serving/retired CRPF personnel and NOKs of deceased CRPF personnel"

Round-the-clock deployment of CRPF officers and men afford them very little time to acquaint themselves with pecuniary entitlements that are revised periodically by the Government/department. Therefore, a need was felt to present such updated information in a concise booklet form for the benefit of all CRPF personnel. This booklet, in a nutshell, explains all financial benefits being given out of Government &CRPF Funds separately to serving/retired CRPF personnel and NOKs of deceased CRPF personnel.

To update this Welfare booklet, Shri Pankaj Kumar DIG (Welfare) and the dealing staff of Welfare branch of the Directorate General have given their valuable contribution for which I would like to thank them.

I do hope that this guidebook amply provides all the requisite information related to welfare schemes being run by the Department/Government. The benefits of this effort would be realised only when the personnel upto the lowest rank are made aware about this by giving it wide publicity.

(Kuldiep Singh)

Director General

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ	सं0
संख्या		से	तक
01	के०रि0पु०बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था	01	04
02	शिक्षा निधि	05	13
03	जोखिम निधि	14	16
04	केन्द्रीय कल्याण निधि	17	18
05	विशेष राहत कोष	19	
06	कल्याण एवं सुख-सुविधा निधि	20	
07	कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिकों के	21	25
	उत्तराधिकारियों को के०रि०पु०बल तथा केन्द्र		
	सरकार से देय वित्तीय सहायताओं का विवरण		
08	के0रि0पु0बल कार्मिकों को केन्द्र सरकार से मिलने	26	34
	वाले सेवानिवृति लाभ		
09	केन्द्रीय सेवाओं में नव नियुक्तों को नई पेंशन	35	36
a	योजना के तहत मिलने वाले पेंशन सम्बन्धी लाभ		a
10	के०रि०पु०बल परिवार कल्याण संस्था (कावा) द्वारा	37	46
		OR	
11	मृत्यु / अशक्तता पर राज्यो द्वारा दी जाने वाली	47	62
	अनुग्रह राशि के संबंध में समेकित विवरण		
12	विविध	63	70
13	जवानों / मृतक कार्मिकों के उत्तराधिकारियों द्वारा	71	74
	आर्थिक योजना बनाना		

INDEX

CHAPTER NO.	SUBJECT		E NO.
		FM	TO
01	CRPF EMPLOYEES EDUCATIONAL SOCIETY	01	04
02	EDUCATION FUND	05	13
03	RISK PREMIA FUND	14	16
04	CENTRAL WELFARE FUND	17	18
05	SPECIAL RELIEF FUND	19	
06	WELFARE & AMENITIES FUND	20	
07	DETAILS OF FINANCIAL ASSISTANCE ADMISSIBLE TO NOK OF PERSONNEL KILLED IN ACTION FROM CRPF AND CENTRAL GOVT.	21	25
08	RETIREMENT BENEFITS TO CRPF PERSONNEL FROM CENTRAL GOVERNMENT	26	34
CEN7	PENSIONARY BENEFITS IN NEW PENSION SCHEME FOR NEW ENTRANTS TO CENTRAL GOVT. SERVICES	35	36
10	ACTIVITIES UNDERTAKEN BY CRPF FAMILY WELFARE ASSOCIATION (CWA)	37	46
11	CONSOLIDATED DETAILS REGARDING EX-GRATIA ON DEATH / DISABILITY	47	62
12	MISCELLANEOUS	63	70
13	FINANCIAL PLANNING BY JAWANS/ NOKs OF DECEASED PERSONNEL	71	74

अध्याय-01

के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था (मई 1986 से)

संस्था अधिनियम—1860 की धारा XXI के तहत संस्था पंजीयक, दिल्ली प्रशासन के दिनांक 22/05/1986 के पत्र द्वारा के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था पंजीकृत है।

1. अंशदान

माह मार्च, 2020 *से रू० 200* / – प्रति वर्ष की दर से अंशदान।

2. <u>के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित शिक्षण</u> संस्थान

क) विद्यालयों का विवरण

क्रमांक	विद्यालय का नाम	कक्षा	स्वीकृत	हॉस्टल
-17	स्थान सहित		संख्या	सुविधा
1	सी.आऱ.पी.एफ. पब्लिक	12वीं	2249	उपलब्ध
	स्कूल, रोहिणी	201		
2	सी.आर.पी.एफ. पब्लिक	12वीं	1920	उपलब्ध
	स्कूल, द्वारका			नहीं है
3	सी.आर.पी.एफ. पब्लिक	12वीं	2000	उपलब्ध
	स्कूल, जवाहर नगर			

CHAPTER-01

CRPF EMPLOYEES EDUCATIONAL SOCIETY (SINCE MAY-1986)

CRPF Employees Educational Society has been registered under Society Act XXI of 1860 vide Society Registrar, Delhi administration letter dated 22/05/1986.

1. SUBSCRIPTION

Subscription @ Rs. 200/- p.a. w.e.f. March 2020.

2. EDUCATIONAL INSTITUTIONS RUN FROM CRPF EMPLOYEES EDUCATIONAL SOCIETY.

a) Details of schools

SI No	Name of school with place	Class	Sanctioned Strength	Hostel facility
1	CRPF Public School Rohini	12 th	2249	Available
2	CRPF Public School Dwarka.	12 th	1920	Not Available
3	CRPF Public School Jawahar Nagar	12 th	2000	Available

- ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों का विवरण
- 1. <u>के०रि०पु०बल, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, (आई.टी.सी.) वजीराबाद</u> (स्था.1989)

_ 4		

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अवधि	स्वीकृत	हॉस्टल
			संख्या	सुविधा
1	मोटर मैकेनिक	2 वर्ष	72	उपलब्ध
2	इलैक्ट्रोनिक्स	2 वर्ष	72	
3	इलेक्ट्रीशियन	2 वर्ष	60	
4	रेफ्रिजरेशन एंड एयर	2 वर्ष	72	
	कंडीशनिंग			
	योग		276	

2. केंoरिoपुoबल, एकीकृत तकनीकी संस्थान, (आई.टी.आई.) आवडी (स्था.1990)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अवधि	स्वीकृत	हॉस्टल
			संख्या	सुविधा
1 5	इलेक्ट्रीशियन	2 वर्ष	60	उपलब्ध
2	मोटर मैकेनिक	2 वर्ष	72	:01
3	ऑटोमोबाईल 📉	1 वर्ष	25	
4	इलेक्ट्रीशियन	्र वर्ष	25	
5	रेफरिजरेशन एंड एयर	१ वर्ष	25	
	कंडीशनर मैकेनिक			
6	फिटर	१ वर्ष	25	
		योग	232	

b) Details of Industrial Training Institute and Institute of Information & Technology.

1. <u>CRPF Industrial Training Centre, (ITC) Wazirabad</u> (Estd. 1989)

Sl	Course	Duration	Sanctioned	Hostel
No			Strength	Facility
1	Motor	2 years	72	Available
	Mechanic			
2	Electronics	2 years	72	
3	Electrician	2 years	60	
4	Refrigeration	2 years	72	
	& Air			
	Conditioning			
Total			276	

2. <u>CRPF Intergrated Technical Institute (ITI) Avadi</u> (Estd 1990)

SI No	Course	Duration	Sanctioned Strength	Hostel Facility
1	Electrician	2 years	60	Available
2 _C	Motor Mechanic	2 years	72	RCE
3	Automobile	1 year	25 🖒	K
4	Electrician	1 year	25	
5	Refrigeration and A/C Mechanic	L year	25	
6	Fitter	1 year	25	
Total			232	

3. के०रि०पु०बल, एकीकृत तकनीकी संस्थान, (आई.टी.आई.) भुवनेश्वर (स्था. 1995)

யக்கும்	अत्रही	ग्रीकत	हॉस्टल
पाएपप्रगा	जपाप		
		संख्या	सुविधा
सचना प्रौद्योगिकी एवं	2 वर्ष	42	उपलब्ध
चिन्ट्रम मेन्ट्रेनंस			
TATE OF THE OFFE			
इलैक्टॉनिक्स	२ वर्ष	42	
- \-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0 30	10	
इलक्ट्राशियन	2 99	42	
मोटर डाइविंग	3 माह	64	
		- 100	
Mark S		190	
योग			
	पाठ्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी एवं सिस्टम मेन्टेनेंस इलैक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन मोटर ड्राइविंग	सूचना प्रौद्योगिकी एवं 2 वर्ष सिस्टम मेन्टेनेंस इलैक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष मोटर ड्राइविंग 3 माह	सूचना प्रौद्योगिकी एवं 2 वर्ष 42 सिस्टम मेन्टेनेंस इलैक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष 42 इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष 42 मोटर ड्राइविंग 3 माह 64

4. <u>कें</u>oिरे0पु०बल, सूचना एवं प्रोद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एण्ड टी) वजीराबाद(स्था.1999)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अवधि	स्वीकृत संख्या	हॉस्टल सुविधा
1	''ओ'' लेवल बेसिक	1 वर्ष	25	उपलब्ध
2	कास ''ए'' लेवल एडवांस 🖊 कोर्स	1 वर्ष	25	
	योग		50	

3. <u>CRPF Intergrated Tachnical Institute(ITI)</u> <u>Bhubaneswar (Estd 1995)</u>

Sl No	Course	Duration	Sanctioned strength	Hostel facility
1	Information technology and system maintenance	2 yrs	42	Available
2	Electronics	2 yrs	42	
3	Electrician	2 yrs	42	
4	Motor driving	3 months	64	
Tota			190	

4. <u>CRPF Institute of Information and Technology</u> (II &T) Wazirabad (Estd. 1999)

Sl	Course	Duration	Sanctioned	Hostel
No	TP.		strength	facility
1	"O" Level	1 year	25	Available
	Basic	.0.	1,10	
	Course	ERVE	,0	
2	"A" Level	1 year	25	
	Advance			
	Course			
	Total		50	

3. के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था निधि से छात्रवृति

- 1. अशोक चक्र प्राप्तकर्ता श्रीमती कमलेश कुमारी छात्रवृति (2014–15 से) रू० 15000/— की दर से प्रत्येक वर्ष 11वीं कक्षा के (केरिपुबल के बच्चों में से) तीन शीर्षस्थ छात्रों (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संवर्ग, प्रत्येक से एक को) जो केरिपुबल पब्लिक स्कूल रोहिणी/द्वारका, नई दिल्ली और जवाहर नगर, रंगारेड्डी(तेलंगाना) में 12वीं में लगातार अध्ययनरत हैं, को दी जा रही है।
- 2. शहीद प्रमोद कुमार छात्रवृति योजना (2015—16 से) रू० 2000/—
 प्रति माह की दर से केरिपुबल के ऐसे कार्मिकों के बच्चों को जिनकी
 कार्रवाई/सक्रिय ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है या 100 प्रतिशत
 अशक्त हुए हों और उनके बच्चे किसी भी स्कूल तथा केरिपुबल के
 तकनीकी संस्थान, आईटीसी/आई आई एण्ड टी/वजीराबाद, आई
 टी आई आवडी/भुवनेश्वर में अध्यनरत है को दी जा रही है।



3. <u>SCHOLARSHIP FROM CRPF EMPLOYEES</u> <u>EDUCATIONAL SOCIETY FUND</u>

- 1. Ashok Chakra Smt.Kamlesh Kumari Scholarship (wef.2014-15) @ Rs.15000/- is being awarded every year to three topper students (CRPF Wards) of class 11th (i.e. one each from Science, Commerce & Arts stream) of CRPF Public Schools Rohini / Dwarka, New Delhi and Jawahar Nagar, Rangareddy (Telangana) who are continuing study in 10+2 in CRPF Public School.
- 2. Shaheed Promod Kumar Scholarship Scheme (wef. 2015-16) @ 2000/- per month is being awarded to the wards of CRPF personnel killed in action/active duty or sustained 100% disability in action / deceased while in service and studying in any School including CRPF Technical Institutions i.e. ITC, II&T Wazirabad, CRPF ITIs Ayadi / Bhubaneswar.



<u>अध्याय—02</u> <u>शिक्षा निधि</u> (जनवरी, 1979 से)

केरिपुबल के आश्रितों को छात्रवृति और आर्थिक सहायता प्रदान करनें के लिए दिनांक 01/01/1979 से शिक्षा निधि की शुरूआत की गई।

अंशदान
 दिनांक 01/01/2020 से वार्षिक अंशदान की दरें इस प्रकार है :--

(प्रत्येक वर्ष जनवरी और सितम्बर माह के वेतन से दो समान किस्तों में कटौती की जाती है।)

2. शिक्षा निधि से शैक्षणिक सहायता

क)(i)शैक्षणिक सहायता :-केवल पहले दो बच्चे छात्रवृति का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

(i)	स्कूल स्तर	कक्षा 2 से 5	रू० 600 / — प्रति वर्ष
		कक्षा ६ से ८	रू० ८०० / – प्रति वर्ष
		कक्षा 9 से 12	रू0 2,000/- प्रति वर्ष
(ii)	कॉलेज स्तर	कला / वाणिज्य वर्ग	रू० २,500 / — प्रति वर्ष
YEA.		विज्ञान वर्ग	रू0 3,000 / — प्रति वर्ष
(iii)	तकनीकी	राजपत्रित अधिकारियों के लिए	रू० 18,000 / – प्रति वर्ष
,	पाठ्यक्रम	अधीनस्थ अधिकारियों के लिए	रू० 28,800 / —प्रति वर्ष
	वर्ग-'क'	अन्य रैंकों के लिए	रू० 36,000 / —प्रति वर्ष
(iv)	व्यावसायिक	राजपत्रित अधिकारियों के लिए	रू० ७,500 / – प्रति वर्ष
` ´	पाठ्यक्रम		(01 / 04 / 2020 ₹ 1)
	वर्ग-'ख'	अधीनस्थ अधिकारियों के लिए	रू० 9,500 / – प्रति वर्ष
			(01 ∕ 04 ∕ 2020 ₹ 1)
		अन्य रैंकों के लिए	रू० 11,500 / –प्रति वर्ष
			(01 / 04 / 2020 से)

CHAPTER-02

EDUCATION FUND (SINCE JANUARY, 1979)

Education fund has been started w.e.f. 01/01/1979 to Provide educational and financial assistance to the wards of CRPF.

1. SUBSCRIPTION

Subscription rate w.e.f. 01/01/2020 p.a.as per details given below:-

ORs - Rs. 500/-SOs - Rs. 750/-GOs - Rs. 1000/-

(Deducted in two equal installments from the pay of January and September every year)

2. A) (i)Educational Assistance: Only first two wards are eligible.

(i)	School level	Class II to V	Rs. 600/- p.a.
		Class VI to VIII	Rs. 800/- p.a.
		Class IX to XII	Rs. 2,000/- p.a.
(ii)	College level	Arts/Commerce Group	Rs. 2,500/- p.a.
C		Science Group	Rs. 3,000/- p.a.
(iii)	Technical Courses	For GOs	Rs.18,000/- p.a.
	Category-'A'	For SOs	Rs.28,800/- p.a.
	REO.	For ORs	Rs.36,000/- p.a.
(iv)	Professional	For GOs	Rs. 7,500/- p.a.
	Courses	NE Y	(wef 01/04/2020
	Category - 'B'	For SOs	Rs.9,500/- p.a.
			.(wef 1/04/2020
		For ORs	Rs. 11,500/- p.a.
			(wef 01/04/2020

- (ii) <u>इकलौती कन्या हेतु शैक्षिक सहायता</u> इकलौती कन्या के मामलों में कक्षा 5 से आगे की छात्रवृति सामान्य दर से दुगनी दी जाएगी।
- (iii) बल के कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सहायता बल के कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों के मामलों में कक्षा 2 से आगे शैक्षिक सहायता सामान्य दर से दुगनी दी जाएगी।
- (iv) बल के कार्मिकों के दिव्यांग / अशक्त बच्चों को जो अपने घर में रहकर अध्ययन करना चाहते है उनको शिक्षा सहायता नियमों के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। इस सम्बंध में उनके अभिभावकों के द्वारा स्वयं प्रमाण पन्न दिया जायेगा।
- (v) बल के शहीदों तथा सक्रिय ड्यूटी के दौरान 100% अशक्त होने एवं बाद में सेवा से इस आधार पर सेवामुक्त किए गए कार्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2015–16 से स्नातक स्तर तक सामान्य दर से शैक्षिक सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया है।
- (vi) शैक्षणिक सत्र 2018–19 से बल के सभी मृतक कार्मिकों के 12वीं कक्षा तक के बच्चों (शहीदों को छोड़कर) को शिक्षा निधि से दी जाने वाली शैक्षिक सहायता की दर को दगना कर दिया गया है।
- (vii) शैक्षणिक सहायता उन बच्चों को भी प्रदान कि जायेगी जो बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा / रनातक / रनाकोत्तर / MBA अथवा अन्य कोई टैक्नीकल / व्यवसायीक ड्रिगी प्राप्त कर रहे है।
- ख) ऐसे 500 (बल के सदस्यों के) बच्चों को जिन्होंने 10वीं कक्षा में 90 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किए हैं, प्रत्येक को रू0 5,000/—का विशेष नकद पुरस्कार।

(ii) Educational Assistance for single girl child

Educational assistance to single girl child will be paid at double of normal rates from Class 5th onward.

(iii) Educational Assistance for Differently abled wards of Force Personnel

Educational assistance will be paid double of normal rates from Class 2nd onwards in case of differently abled wards of force personnel.

- (iv) The disabled/autistic children/wards of CRPF personnel who want to study at home will be paid educational assistance as per the existing rates and standing instructions on the basis of self certification by their parents.
- (v) Educational Assistance upto graduation level for the wards of Martyrs and personnel sustained 100% disability during active duty and boarded out from service has been introduced at normal rate from the academic year 2015-16 onwards.
- (vi) Educational Assistance for the wards of all deceased force personnel (except martyrs) upto class 12th has been introduced at double of the existing rate from Education Fund from the academic year 2018-19 onwards.
- (vii) Educational Assistance extended to the wards of CRPF personnel who are pursuing Higher studies abroad (Graduation/Post Graduation/MBA and any other technical/professional professional degrees at par with the wards of CRPF personnel, those who are pursuing studies in India.
- B) Special Cash Prize @ Rs. 5,000/- each to top 500 wards of Force personnel who will score 90% and above in class 10th.

- ग) बल के कार्मिकों के बच्चों को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 85 से 90 प्रतिशत तक को रू० 5000/—, 90 से 95 प्रतिशत को रू० 10,000/—और 95 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर रू015,000/—के विशेष नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
- घ) महानिदेशक ट्राफी महानिदेशक ट्राफी बल के कार्मिक (सेवारत्/सेवानिवृत्त/शहीद/मृतक) के बच्चे को 12वीं कक्षा में (प्रत्येक विषय:-विज्ञान/कला/वाणिज्य) शीर्ष 3 उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले का नकद पुरस्कार के साथ ट्राफी प्रदान की जाती हैं:-
 - क) प्रथम पुरस्कार रू० 25000 / (ट्राफी सहित) ख) द्वितीय पुरस्कार रू० 20000 / — (ट्राफी सहित) ग) वृतीय पुरस्कार रू० 15000 / — (ट्राफी सहित)

3. अन्य छात्रवृत्तियां

(i) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएपीएफ कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के तहत छात्राओं को प्रति वर्ष रू० 36,000/— और छात्रों को रू० 30,000/— की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सूबेदार मेजर/निरीक्षक तक के पदों के कार्मिकों के लिए लागू है। निम्नलिखित वर्ग छात्रवृति के पात्र है:—

-		
I	वर्ग-ए	कार्रवाई में मारे गए सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों
		के बच्चे / विधवाएं।
П	वर्ग—बी	कार्रवाई में अशक्त हुए सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर.
		कार्मिकों के बच्चे / विधवाएं।
Ш	वर्ग—सी	सरकारी सेवा के निष्पादन सहित चुनाव कराने के

C) Special cash prizes will be given to the wards of force personnel @ Rs.5,000/- to those CRPF wards who get 85% to 90% marks, @ Rs.10,000/- to those who get above 90% to 95% and @ Rs.15,000/- to those who get above 95% mark in aggregate in Board examination of class 12th.

D) <u>DGS TROPHY & AWARD FOR ACADEMIC</u> <u>EXCELLENCE</u>

DGs Trophy & Award will be provided for academic excellence to top 3 highest mark in class 12th in each stream i.e. Science, Commerce/Arts [students / wards of CRPF personnel (serving/retired/deceased/martyrs)] as per following details:-

- a) 1st Prize Rs. 25,000/- with Trophy
- b) 2nd Prize Rs. 20,000/- with Trophy
- c) 3rd Prize Rs. 15,000/- with Trophy

3) OTHER SCHOLARSHIPS

i) Prime Minister's Scholarship Scheme

Scholarship amount of Rs. 36,000/-p.a to Girls and Rs.30,000/-p.a. to boys from 'Prime Minister Scholarship Scheme' to wards of the personnel of the CAPFs to encourage technical and professional courses. Above Scholarship is applicable up to the rank of SM/Insp.

The following categories are eligible for the scholarship:-

I	Category-A	Wards/widows of CAPFs& AR personnel
		killed in action.
II	Category-B	Wards/widows of CAPFs& AR personnel
		disabled in action.
III	Category-C	Wards/widows of deceased CAPFs& AR
	0 1	personnel died for causes attributable to

		दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे / विधवाएं।
IV	वर्ग–डी	सरकारी सेवा के दौरान अशक्त हुए भूतपूर्व सी.ए.पी.
		एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे / विधवाएँ।
٧	वर्ग–ई	वीरता पदक प्राप्त भूतपूर्व सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर.
		कार्मिकों के बच्चे।
VI	वर्ग-एफ	भूतपूर्व सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे
		(अधिकारी से निचले स्तर के कार्मिक)।
VII	वर्ग–जी	छात्रवृति उपलब्ध होने की दशा में, सेवारत सी.ए.पी.
		एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे (अधिकारी से
		निचले स्तर के कार्मिक)

(ii) पुलिस स्मृति फण्ड छात्रवृत्ति योजना

यह योजना बर्ष 1982 से आरंभ हुई है। डयूटी के दौरान मृत हुए कार्मिकों के बच्चे जो एम.बी.बी.एस., बी.ई.-बी.टेक, एम.बी.ए, एम.सी.ए. इत्यादि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत है, को रू० 15000/— प्रतिवर्ष और अन्य विभिन्न नियमित सामान्य विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों जैसे एम.एस.सी., एम.कॉम., एम.ए., बी.ए.बी.एस.सी.,बी.कॉम. इत्यादि में अध्ययनरत हैं को रू० 5000/— प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

(iv) विद्या रक्षक छात्रवृत्ति

यह छात्रवृति शैक्षिक सत्र 2014—15 से सरोजिनी दामोदर फॉउंडेशन (एस.डी.एफ.) द्वारा गृह मंत्रालय के मार्फत आरंभ की गई। कार्रवाई में मारे गए या अशक्त हुए अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के बच्चों को प्राथमिकता के क्रम में यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।

1	कक्षा 1 से 4 तक में पढ़ने वाले बच्चे	रू० ६००० / —प्रति वर्ष
2	कक्षा 5 से 7 तक में पढ़ने वाले बच्चे	रू० ९००० / —प्रति वर्ष
3	कक्षा ८ से 12 तक में पढ़ने वाले बच्चे	रू० 12000 / — प्रति वर्ष

		Govt. service including casualties during		
		conduct of election.		
IV	Category-D	Wards of Ex-CAPFs& AR personnel		
		disabled while in service with disability		
		attributable to Govt. service.		
V	Category-E	Wards of Ex-CAPFs& AR personnel in		
		receipt of Gallantry Awards.		
VI	Category-F	Wards of Ex-CAPFs& AR personnel		
		(Personnel Below Officer Rank).		
VII	Category-G	Wards of serving CAPFs & AR personnel		
		(Personnel Below Officer Rank) subject to		
		availability of scholarship.		

(ii) Police Memorial Fund Scholarship Scheme:

Started from the year 1982. This Scholarship is awarded to the wards of personnel killed during duty and who are pursuing professional courses like MBBS, B.E., B.Tech, MBA, MCA etc. @ Rs.15,000/- p.a. and other general academic university courses viz MSc, M.Com, MA, BA, BSc, B.Com. etc.@ Rs. 5,000/- p.a. on regular basis in various disciplines.

(iii) Vidya Rakshak Scholarship:

Started from academic year 2014-15 by Sarojini Damodaran Foundation (SDF) through MHA. This scholarship is awarded to the wards/children of personnel of Paramilitary force who were killed inaction or disabled in action in order of priority.

1	Children studying from 1 st to 4 th	@ Rs. 6000/- pa
	standard	
2	Children studying from 5 th to 7 th	@ Rs. 9000/- pa
	standard	
3	Children studying from 8 th to	@ Rs. 12000/- pa
	12 th standard	

छात्रवृति के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र है:--

	सरकारी सेवा के निष्पादन के दौरान मृत हुए सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के आश्रित / बच्चे।
ii)	सरकारी सेवा के निष्पादन के दौरान स्थाई रूप से अशक्त हुए सी.
	ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के आश्रित/बच्चे।
iii)	सरकारी सेवा से बोर्ड ऑउट हुए सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों
	के आश्रित/बच्चे।

- (v) श्रवण टण्डन छात्रवृत्ति:-दिनांक 01/04/2016 से आरंभ की गई।
 - i) केरिपुबल के शहीदों के 12 वीं कक्षा के विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा कला संकाय के 3 टॉपर विद्यार्थियों को निम्नलिखित विवरणानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:—

क्रम	कक्षा,छात्रवृति की दर तथा संकाय / श्रेणी राशि की गणना
संख्या	
01	12 वीं कक्षा के 4 संकायों (विज्ञान, कृषि, @ 6000 X 3 X 4 =
	वाणिज्य तथा कला) में प्रत्येक संकाय के 3
5 3	टॅापर विद्यार्थियों को रूपये 6,000/- की
	दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ii) 12वीं कक्षा में किसी भी संकाय में यदि शहीदों की किसी छात्रा टॉपर को मैरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिलता है तो छात्राओं के लिए विशेष तौर पर छात्रवृत्ति को अन्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा तथा छात्रवृत्ति की श्रेणियां निम्नानुसार होगी:

Following categories are eligible for the scholarship:

- Wards/Children of CAPFs and AR personnel i) who lay down their lives in the line of duty. ii) Wards/Children of CAPFs and AR personnel those become disabled permanently while on duty. iii) Wards/Children of CAPFs and AR personnel boarded out from service.
- **(v)** Shrawan Tandon Scholarship: Introduced Wef. 01/04/2016.
- i) The scholarship is awarded to three topper Students of 12thclass in streams of Science, Agriculture, Commerce & Arts to the wards of CRPF martyrs as per following details:-

		7-61-4-7	
	S.	Class, rate of scholarship and	Calculation
	No	stream/category	of amount
	01	Scholarship to three topper	@ 6000 x 3
		students of 12 th class in 4	x 4 = Rs.
9		streams (Science, Agriculture,	72000/-
		Commerce & Arts) @ Rs.	
100	V	6000/- in each stream.	- OCE]
	//	AL RESIDE	FOI
ii)	If	no girl ward of martyrs finds merit	in toppers

If no girl ward of martyrs finds merit in toppers ii) list in any stream of 12th class as above, it will then add another category exclusively for girls and categories of scholarship will be as under :-

टॉपर के लिए छात्रवृत्ति

क्रम	कक्षा,छात्रवृति की दर तथा संकाय/श्रेणी	राशि की गणना
संख्या		
01	12 वीं कक्षा के 4 संकायों (विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा कला) में प्रत्येक संकाय के 3 टॉपर विद्यार्थियों को रूपये 5,000/— की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	@ 5000 X 3 X 4= ₹0 60,000/-

बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति

क्रम	कक्षा, छात्रवृति की दर तथा संकाय/श्रेणी	राशि की गणना
संख्या		
01	12 वीं कक्षा के केवल विज्ञान संकाय में 3	@ 5000 X 3 X
	टॉपर विद्यार्थियों को रूपये 5,000 / – की	1=15,000/-
	दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	

नोट :—(i) अधीनस्थ अधिकारियों (SOs) तथा अन्य रैंकों(ORs) (शहीदों) के बच्चे ही पात्र होंगे। यदि उक्त अनुसार किसी भी श्रेणी में शहीदों के बच्चे पात्र नहीं पाये जाते है और स्थान रिक्त रह जाते है तोकेरिपुबलके ड्यूटी के दौरान मृतक कार्मिकों के बच्चों पर विचार किया जायेगा। (ii) सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल में अध्ययन करने वालेविद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

4) मांटेसरी स्कूल का विवरण

बच्चों के नियमित कक्षाओं में दाखिले हेतु तैयारी के लिए वर्तमान में निम्नलिखित 57 स्थानों पर मांटेसरी स्कूल स्थापित हैं:--

Scholarship for Toppers

S.No.	Class, rates of scholarship and	Calculation
	stream/category	of amount
01	Scholarship to three topper students of 12 th class in 4 streams (Science, Agriculture, Commerce & Arts) @Rs. 5000/- in each stream.	$x^4 = Rs.$

Scholarship for Girls

S.No	Class, rates of scholarship and	Calculation
	stream/category	of amount
01	Scholarship to three topper students of 12 th class in	
	Science stream only @ Rs. 5000/	15000/-

- NOTE:-(i)Wards of SOs & ORs (martyrs) are eligible. In case, wards of martyrs are not finding mention in any Category as above and slot is left out, then wards of CRPF Personnel died in harness will be considered.
 - will be considered.

 (ii) Students studying in CRPF Public Schools are not eligible.

4) <u>DETAILS OF MONTESSORI SCHOOL</u>

As on date, Montessori school at following 57 locations are functioning to prepare the children for admission to regular classes:-

क्0	स्थान	क्0	स्थान	क्0	स्थान
सं0		सं0		सं0	
01	ग्रुप केन्द, केरिपुबल, आवड़ी	02	ग्रुप केन्द्र—प्रथम, केरिपुबल, अजमेर	03	ग्रुप केन्द्र–द्वितीय, केरिपुबल, अजमेर
04	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, इलाहाबाद	05	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल,अगरतला	06	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, अमेठी
07	गुप केन्द्र, केरिपुबल, बैंगलोर	80	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल,भुवनेश्वर	09	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, बनतालाब
10	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, भोपाल	11	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल,बिलासपुर	12	सी.टी.सी., केरिपुबल, कोयंबटूर
13	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, दुर्गापुर	14	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, ग्वालियर	15	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, नोयडा
16	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, गांधीनगर	17.	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, गुवाहाटी	18	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, गुरूग्राम
19	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, हैदराबाद	20	5वी बेतार, केरिपुबल, हैलोमाजरा, चंडीगढ़	21	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, इंफाल
22	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, जालंधर	23	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल,खटखटी	24	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल,मुजफ्फरपुर
25	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, लखनऊ	26	ग्रुप केन्द्र,केरिपुबल, मोकामाघाट	27	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, नीमच
28	सी.टी.सी–तीन, केरिपुबल, नांदेड	29	रंगरूट प्रशिक्षण संस्थान–तीन, पेरिंगम	30	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, नागपुर
31	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, पल्लीपुरम	32	एस.डी.जी, केरिपुबल,नई दिल्ली	33	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, पिंजीर
34	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, नई दिल्ली	35	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, पुणे	36	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, रंग्गारेडी
37	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, रामपुर	38	सी.टी.सी.(टी.एंड आई.टी) केरिपुबल, रांची	39	रंगरूट प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर
40	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सोनीपत	41	सी.आई.ए.टी. शिवपुरी	42	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सिलिगुड़ी

S/No	Location	S/N	Location	S/	Location	
		0		No		
01	GC CRPF	02	GC-I CRPF	03	GC-II CRPF	
	Avadi		Ajmer		Ajmer	
04	GC CRPF	05	GC CRPF	06	GC CRPF	
	Allhabad		Agartala		Amethi	
07	GC CRPF	08	GC CRPF	09	GC CRPF	
	Banagalore		Bhubaneswar		Bantalab	
10	GC CRPF	11	GC CRPF	12	CTC	
	Bhopal		Bilaspur		Coimbatore	
13	GC CRPF,	14	GC CRPF	15	GC CRPF	
	Durgapur		Gwalior		G/Noida	
16	GC CRPF,	17_	GC CRPF	18	GC CRPF	
	Gandhinagar		Guwahati		Gurugram	
19	GC CRPF	20	5 Sig Bn at	21	GC CRPF	
	Hyderabad		CRPF Campus		Imphal	
			Halomajra			
			Chandigarh			
22	GC CRPF,	23	GC, CRPF	24	GC CRPF	
	Jallandhar		Khatkatti		Muzaffarpur	
25	GC CRPF,	26	GC, CRPF	27	GC CRPF	
23	Lucknow	20	Mokkameghat	21	Neemuch	
28	CTC,CPRF,	29	RTC CRPF	30	GC CRPF	
C	Nanded, MKD	2)	Peringome	30	Nagpur	
31	GC CRPF	32	SDG CRPF	33	GC CRPF	
	Pallipuram	1	N/Delhi		Pinjore	
34	GC CRPF	35	GC CRPF	36	GC CRPF	
	New Delhi	SE	Pune		Rangareddy	
37	GC CRPF	38	CTC	39	RTC Srinagar	
	Rampur		(T&IT) CRPF			
40	•	4.1	Ranchi	42	CC CDDC	
40	GC, CRPF	41	CIAT	42	GC CRPF	
	Sonepat		Shivpuri		Siliguri	

43	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल,	44	100 बटालियन,	45	101 बटालियन, आर.
	सिलचर		आर.ए.एफ.		ए.एफ.
46	102 बटालियन,	47	104 बटालियन,	48	105 बटालियन, आर.
	आर.ए.एफ		आर.ए.एफ		ए.एफ.
49	107 बटालियन,	50	108 बटालियन,	51	201 कोबरा
	आर.ए.एफ.		आर.ए.एफ.		बटालियन
52	202 कोबरा	53	203 कोबरा	54	205 कोबरा
	बटालियन		बटालियन	No.	बटालियन
55	207 कोबरा	56	209 कोबरा	57	210 कोबरा
	बटालियन		बटालियन		बटालियन

मांटेसरी स्कूल के लिए प्रारंभिक अनुदान- रूपये 50,000/-(शिक्षा निधि में से)

5) विभिन्न ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में संचालित केन्द्रीय विद्यालयों का विवरण :-बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 36 स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहें हैं:-

क्रम	केरिपुबल, ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में केन्द्रीय	क्रम	केरिपुबल, ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में
संख	/ संस्थानों में केन्द्रीय	संख्या	केन्द्रीय विद्यालय
या	विद्यालय		
01	ग्रुप केन्द्र– प्रथम अजमेर	19	ग्रुप केन्द्र पिंजीर
02	ग्रुप केन्द्र– द्वितीय	20	ग्रुप केन्द्र रामपुर
	अजमेर		
03	ग्रुप केन्द्र आवड़ी	21	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
		5	(टी.एंड आई.टी) रांची
04	ग्रुप केन्द्र बंतालाब	22	ग्रुप केन्द्र भोपाल
05	ग्रुप केन्द्र बैंगलोर	23	ग्रुप केन्द्र पुणे
06	ग्रुप केन्द्र भुवनेश्वर	24	ग्रुप केन्द्र जालंधर
07	ग्रुप केन्द्र दुर्गापुर	25	ग्रुप केन्द्र इलाहाबाद
08	ग्रुप केन्द्र गांधीनगर	26	रंगरूट प्रशिक्षण संस्थान-तीन, पेरिंगम
09	ग्रुप केन्द्र गुवाहाटी	27	ग्रुप केन्द्र अगरतला
10	ग्रुप केन्द्र हैदराबाद	28	गुप केन्द्र मुजफ्फरपुर
11	ग्रुप केन्द्र इम्फाल	29	78 बटालियन / पुलिस उप
			महानिरीक्षक (परिचालन)
			कोहिमा

43	GC CRPF	44	100 RAF	45	101 RAF
	Silchar				
46	102 RAF	47	104 RAF	48	105 RAF
49	107 RAF	50	108 RAF	51	201 COBRA
					BN
52	202 CoBRA	53	203 CoBRA	54	205 CoBRA BN
	BN		BN		
55	207 CoBRA	56	209 CoBRA	57	210 CoBRA BN
	BN		BN		

Initial Grant for Montessori School -Rs.50,000/- (Out of education fund)

5) <u>DETAILS OF KENDRIYA VIDYALAYAS AT VARIOUS</u> <u>GC/ INSTITUTION</u>

Kendriya Vidyalayas at following 36 places are functioning for taking care of education of the children.

S/	KVs available at	S/No.	KVs available at CRPF
No.	CRPF Group		Group
	Centre/Institution		Centre/Institution
01	GC-I Ajmer	19	GC Pinjore
02	GC-II Ajmer	20	GC Rampur
03	GC Avadi	21	CTC(T&IT) Ranchi
04	GC Bantalab	22	GC Bhopal
05	GC Bangalore	23	GC Pune
06	GC Bhubaneshwar	24	GC Jallandhar
07	GC Durgapur	25_	GC Allahabad
08	GC Gandhinagar	26	RTC-III, Peringome
09	GC Guwahati	27	GC Agartala
10	GC Hyderabad	28	GC Muzaffarpur
11	GC Imphal	29	78 Bn / DIG(Ops)
			Kohima

12	ग्रुप केन्द्र खटखटी	30	205 कोबरा बटालियन, बाराछत्ती, जिला–गया, बिहार
13	ग्रुप केन्द्र लखनऊ	31	210 कोबरा बटालियन, डलगॉव, जिला— डारंग, असाम
14	ग्रुप केन्द्र मोकामाघाट	32	ग्रुप केन्द्र बिलासपुर
15	ग्रुप केन्द्र नागपुर	33	युप केन्द्र गुरूग्राम
16	ग्रुप केन्द्र नीमच	34	युप केन्द्र ग्वालियर
17	ग्रुप केन्द्र नई दिल्ली	35	युप केन्द्र सोनीपत
18	ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम	36	ग्रुप केन्द्र सिलीगुड़ी



12	GC Khatkhati	30	205 CoBRA BN,
			Barachhatti, Distt-
			Gaya, Bihar
13	GC Lucknow	31	210 CoBRA Bn,
			Dalgaon, Distt- Darang,
			Assam
14	GC Mokamehghat	32	GC Bilaspur
15	GC Nagpur	33	GC Gurugram
16	GC Neemuch	34	GC Gwalior
17	GC New Delhi	35	GC Sonepat
18	GC Pallipuram	36	GC Silguri



अध्याय-03

<u>जोखिम निधि</u> (मार्च, 1981 से)

बल के सेवारत कार्मिकों से अंशदान के साथ जोखिम निधि मार्च 1981 से शुरू की गई है।

1. अंशदान

दिनांक 01/03/2018 से बल के सभी कार्मिको से मासिक अंशदान रू० 500/-प्रति माह लिया गया है | दिनांक 01/11/2021 से अंशदान दो भागों में समायोजित किया जायेगा अर्थात जोखिम एवं बचत कम्पोनेन्ट 50:50 कें अनुपात में, जोखिम भाग रू. 250/- वापिस नहीं होगा और 250/- बचत भाग तथा बोनस प्रचलित दर से अशंदाता को वापिस होगा

2. पूर्व में तथा वर्तमान में दी जाने वाली सहायता का विवरण

(क) मृत्यु के मामले में

दिनांक <i>01/04/2014</i> से दरें				
मृत्यु का कारण	राशि	उत्तराधिकारी	माता–पिता	
		एवं बच्चे		
कार्रवाई के दौरान	₹0 20,00,000/-	1400000/-	600000/-	
मृत्यु		1		
मस्तिष्क ज्वर से	₹0 20,00,000/-	1400000/-	600000/-	
मृत्यु होने पर			EOK	
अन्य मृत्यु	रू० 10,00,000/	700000/-	300000/-	
4.8%				
दिनांक 01/01/2016 से दरें				
अन्य मृत्यु	₹50 12,00,000/-	700000/-	500000/-	

CHAPTER-03

RISK PREMIA FUND (SINCE MARCH,1981)

Risk Premia Fund was started from March, 1981 with the subscription from the serving force personnel.

1. <u>SUBSCRIPTION</u>

Monthly subscription @Rs 500/- p.m w.e.f 01/03/2018 from all members of the force. From 01/11/2021, the subscription will comprise of two components i.e. Risk and saving Component in the ratio of 50:50. Risk Component of Rs. 250/- will be non refundable and saving component of Rs. 250/- will be refundable to the subscribers with bonus as per prevailing rate of bonus.

2. <u>DETAILS OF PREVIOUS AND PRESENT ASSISTANCE WITH</u> DISTRIBUTION

(a) IN DEATH CASES

Rates w.e.f. 01/04/2014				
Reasons of Death	Amount	NOK and Children	Parents	
Death in Action	Rs. 20,00,000/	- 14,00,000/-	6,00000/-	
Death due to Cerebral Malaria	Rs.20,00,000/-	14,00,000/-	6,00000/-	
Others Death	10,00,000/-	7,00,000/-	3,00000/-	
Rates w.e.f. 01/01/2016				
Others Death	12,00,000/-	7,00,000/-	5,00000/-	

दिनांक <i>01/04/2019</i> से दरें			
मृत्यु का कारण	राशि	उत्तराधिकारी एवं	माता–पिता
अन्य मृत्यु	₹७० 15,00,000/-	बच्चे	
कोंविड से मृत्यु पर	₹50 20,00,000/-		
यदि मृतक के बच्चे है	तो	७० प्रतिशत	30 प्रतिशत
यदि मृतक के बच्चे न	हीं है तो	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

दिनांक 01/10/2019 से दरें

क सं	उत्तराधिकारी	माता / पिता	बच्चे
1	60 प्रतिशत	25 प्रतिशत	
2	15 प्र0 हिस्सा शहीद / मृतक जायेगा ।	कार्मिक के सभी बच्च	गो में बराबर दिया
3	बच्चो का हिस्सा 18 वर्ष तक में नजदीकी ग्रुप केन्द्र द्वारा (विध जमा के रुप
4	और यदि शहीद / मृतक के व माता / पिता के बीच 50—50		

दिनांक	<i>01/11/2021</i> से	संशोधित दरें		64
मृत्यु का कारण	राशि	उत्तराधिकारी	माता–पिता	बच्चे
कार्रवाई के दौरान	रू० ३० लाख	60 प्रतिशत	25 प्रतिशत	15
मृत्यु			FC	प्रतिशत
अन्य सभी प्रकार की	रू0 20 लाख	60 प्रतिशत	25 प्रतिशत	15
मृत्यु पर	SEL	-01		प्रतिशत

Rates w.e.f. 01/04/2019				
Reasons of Death	Amount	NOK and Children	Parents	
Others Death	Rs. 15,00,000/-			
Death due to Covid	Rs. 20,00,000/-			
If wife of deceased has ch	70%	30%		
If wife of deceased has no children		50%	50%	

Rates w.e.f. 01/10/2019

S. No	NOK	Parents	Children
01	60%	25%	15%
02	15% share will the children of the ma		equally among all Govt. Servant.
03		ild attains 18 y	the form of Fixed years which will be C.
04		the ratio of 50	ation the share will 0% - 50% between

Revised rates w.e.f. 01/11/2021			
Reasons of Death Amo	ount NOK	Parents	Children
Death in Action Rs. 30	Lac 60%	25%	15%
Other Deaths Rs.20	Lac 60%	25%	15%

ख) अशक्तता पर

दिनांक <i>01/11/2021</i> से संशोधित दरें		
कम संख्या	अशक्तता का प्रतिशत	राशि
01	0–25 प्रतिशत तक	०५ लाख
02	25 प्रतिशत से ज्यादा व 50 प्रतिशत तक	10 लाख
03	50 प्रतिशत से ज्यादा व 75 प्रतिशत तक	१५ लाख
04	75 प्रतिशत से ज्यादा व 100 प्रतिशत तक	20 लाख

(ग) <u>अधिवर्षिता / स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति / बर्खास्त / पदच्युत / सेवा से हटाये</u> जाने इत्यादिं पर :-

क्रम	विवरण	राशि (01 / 10 / 2019 से)
संख्या	(अंशदान का भुगतान)	
01	20 वर्ष तक	बचत भाग + 10 प्रतिशत
		बोनस
02	20 वर्ष से अधिक तथा 30 वर्ष से	बचत भाग + 25 प्रतिशत
	कम	बोनस
03	30 वर्ष और अधिक	बचत भाग + 75 प्रतिशत
		बोनस

नोट:- दिनांक 31/10/2021 तक जमा अशंदान पर पूर्ण बोनस की गणना होगी और वापसी कम्पोनेंन्ट पर दिनांक 01/11/2021 से गणना होगी। (घ) कृत्रिम अंग

> कार्रवाई के दौरान अपने अंग गंवाने वाले कार्मिकों को अच्छी किरम के कृत्रिम अंग लगाने हेतु सरकारी अनुदान से अधिक व्यय होने पर अन्तर राशि प्रदान करना

(b) ON INVALIDATION

	Revised rates w.e.f. 01/11/2021			
Sl. No. % of Disability Amount				
01	upto 25 %	05 Lakh		
02	More than 25 % and upto 50%	10 Lakh		
03	More than 50 % and upto 75%	15 Lakh		
04	More than 75 % and upto 100%	20 Lakh		

(c) ON SUPERANNUATION/VOL.RETIREMENT/ DISMISSAL/DISCHARGE/REMOVAL ETC.

SL.	DETAILS	AMOUNT
No.		(WEF. 01/10/2019)
01	Risk Premia benefits	Total Subs + 10% Bonus
	subscribing upto 20 years	
02	Above 20 years and	Total Subs + 25% Bonus
	below 30 years of service	
03	30 years of service and	Total Subs + 75% Bonus
	above.	

Note:- Bonus will be calculated on full subscription upto 31/10/2021 and on saving component we.f. 01/11/2021.

(d) <u>ARTIFICIAL LIMBS</u>

Deficit amount beyond Govt. Grant for fitment of good quality of artificial limbs to the personnel who have lost their limbs during action.

अध्याय-04

केन्द्रीय कल्याण निधि (अगस्त, 1969 से)

1. अंशदान

दिनांक 01/11/2021 से अंशदान की दरें प्रति माह निम्नलिखित प्रकार होंगी :-

पद	अंशदान
उप महानिरीक्षक से महानिदेशक	200
सहायक कमांडेंट से कमांडेंट	175
सहायक उप निरीक्षक से सूबेदार मेजर	125
सिपाही से हवलदार	100

i) केन्द्रीय कल्याण निधि से आर्थिक सहायता :

- क) मृत्यु के मामले में : रूपये 5,00,000/-(दिनांक 01/11/2021 से) रूपये 30,000/- तत्कालिक वित्तीय सहायता (दिनांक 01/01/2016 से)
- ख) निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार ऑपरेशन/ड्यूटी के दौरान घायल होने परः (दिनांक 01/03/2016 से)

कम संख्या	श्रेणी	चोट के प्रकार	वित्तीय सहायता
1	' ' क''	पत्थरबाजी / कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, बचाव एवं सहत कार्य के दौरान आई चोटें अथवा ऑपरेशन में घायल होने पर हल्की चोटों के लिए चिकित्सा सहायता हेतु।	रूपये 4,000 / – (प्रत्येक घायल कार्मिक को)

CHAPTER-04

(SINCE AUGUST, 1969)

1. SUBSCRIPTION

Subscription per month w.e.f. 01/11/2021 as per details given below:-

Rank	Subscription
DIG TO DG	200
AC TO COMDT	175
ASI TO SM	125
CT TO HC	100

i) FINANCIAL ASSISTANCE FROM CENTRAL WELFARE FUND

- a) In Death cases: Rs. 5,00, 000/-(wef. 01/11/2021)
 Rs.30,000/-as Immediate Financial Assistance (w.e.f. 01/01/16)
- b) Injuries during operation/duty as per following category: (wef. 1/3/2016)

SL.	Cate-	Nature of injury	Financial
No	gory	W.C.	assistance
1	"A"	Minor injuries for which	
		medical attention is required	(to each
		due to stone pelting/law and	injured
		order duties/ injuries due to	person)
		rescue and relief operations/in	
		action during operations.	

2	''ख''	पत्थरबाजी / कानून एवं व्यवस्था संबंधी	रूपये 25,000 / — (प्रत्येक
		ड्यूटी, बचाव एवं राहत कार्य के दौरान	घायल कार्मिक को)
		आई चोटें अथवा ऑपरेशन में आई	
		गम्भीर चोटों के ईलाज हेतु अस्पताल	
		में भर्ती होने अथवा हड्डी टूटने/टांके	
		लगाने इत्यादि के लिए।	
3	''ग''	ऑपरेशन के दौरान गोली लगने/	रूपये 50,000 / - (प्रत्येक
		स्पलिटर/विस्फोट से गम्भीर रूप से	घायल कार्मिक को)
		घायल होने पर 2 सप्ताह से अधिक	
		की अवधि तक अस्पताल में भर्ती रहें	
		हो किंतु स्थायी रूप से अशक्तता नहीं	
	. /	होने पर ।	
4	''घ''	ऑपरेशन के दौरान गम्भीर रूप से	रूपये 100,000 / — (प्रत्येक
		घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती	घायल कार्मिक को) अन्य
		होने तथा स्थायी रूप से अशक्त होने	भुगतान से समायोजित नहीं
		पर	किया जाए।

ग) सेवा के दौरान बल के शहीद तथा मृतक कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को अभी उनकी पुत्रियों एवं बहनों की शादी के अवसर पर दिनांक 01/11/2021 से 1,00,000/- (रूपये एक लाख) की मात्र की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । तथा तथा 01/11/2021 से पहले रु. 50000/-



2	"B"	Grievous injuries leading to	Rs. 25,000/-
		hospitalization or fracture of	(to each
		bones/stitches etc. due to	`
		stone pelting/ law and order	3
		duties/rescue and relief	1 /
		operations/in action during	
		operations.	
3	"C"	Grievous injuries due to	Rs. 50,000/-
		bullet/splinter/blast during	(to each
		operation leading to	injured
		hospitalization for more than	person
		two weeks but without	
		causing permanent disability.	
4	"D"	Grievous injuries in action	Rs.1,00,000
		during operational duties	/- (to each
		leading to hospitalization and	injured
		permanent disability.	person) not
			to be
			adjusted
			with other
			Payments.

c) Financial Assistance of Rs.1,00,000/- only to the NOK on the occasion of daughters and sisters of Martyrs /deceased force personnel died while in service) at the time of their marriage (wef. 01/11/2021) Prior to 1/11/2021 it was Rs. 50000/

अध्याय-05

विशेष राहत कोष

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष से स्वीकृत अनुदान से प्राप्त राशि से इस महानिदेशालय में "विशेष राहत कोष" बनाया गया है। सरकार से प्राप्त अनुदान को राष्ट्रीयकृत बैकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया है तथा इससे प्राप्त ब्याज से बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनकी पत्नी / पति को इलाज हेतू सहायता राशि दी जाती है।

- गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के मुताबिक जमा 2. धनराशि को बरकरार रखा जायेगा तथा प्राप्त ब्याज को विशेष राहत कोष की कैश बुक में अलग से रखा जायेगा जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनकी पत्नी / पति को जीवन में एक बार गम्भीर बीमारी जैसे कि कैंसर, ट्यूमर, रेनल डिजिज, किडनी प्रत्यारोपण, इदय संबंधी बीमारी, लीवर प्रत्यारोपण में अधिकतम रूपये 1,00,000/- की वित्तीय सहायता चिकित्सा हेत् उपलब्ध करायी जायेगी।
- निधि की शासी निकाय ने यह निर्णय लिया है कि समिति वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी मामलों की जांच करेंगी तथा उपयुक्त निर्णय लेगी। तदनुसार, निम्नलिखित सदस्यों की एक स्थायी समिति गठित की गई है :--

पीठासीन अधिकारी अपर महानिदेशक (मुख्या०) महानिरीक्षक (प्रशा0) सदस्य –I

वित्तीय सलाहकार, केरिपुबल सदस्य -II

THY RESEL निदेशक (चिकित्सा)

द्वितीय कमान-अधिकारी(लेखा / प्रशा) सदस्य - IV

उप महानिरीक्षक (कल्याण) सदस्य सचिव

CHAPTER-05

SPECIAL RELIEF FUND

'Special Relief Fund' has been created in the Directorate General, with the grant sanctioned by Govt. of India out of National Defence Fund. Grant received from the Government is invested in Nationalized Banks as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposits is utilized for the medical treatment of the retired Force personnel and their spouse.

- The Corpus would be kept intact as per the MHA 2. guidelines and the interest component would be used for providing suitable financial assistance upto a maximum limit of Rs 1,00,000/- to retired personnel and their spouse once in a life time on the principle for treatment of rarest of rare diseases like cancer, tumour, renal disease, kidney transplantation, heart disease, liver transplantation.
- 3. Governing Body of Funds decided that committee may examine the cases of financial assistance and take suitable decision. Accordingly, a permanent committee consisting of the following members has been constituted: -

: Add. DG (Hqrs). : IGP (Adm) **Presiding Officer**

Presiums Member-I : FA, CRPF.

Member-III : Director (Medical).

: Second in Command (Adm/Accts) Member-IV

: DIGP (Welfare). Member Secretary

अध्याय-06

कल्याण एवं सुख-सुविधा निधि

संबंधित यूनिटों / कार्यालयों में तैनात गैर-वर्दीधारी मंत्रालयिक / अस्पतालीय स्टाफ सहित सभी सदस्यों को इस निधि से निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:-

- (क) सदस्यों के कल्याण हेतु होने वाली खरीद अथवा उनके मनोरंजन पर होने वाले खर्च को वहन करने हेतु।
- (ख) कल्याण समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार धार्मिक कार्यक्रमों / रेजिमेंटल कार्यक्रमों / राष्ट्रीय त्यौहारों को मनाने पर होने वाले न्यूनतम खर्च के वहन हेतु।
- (ग) सभी रैंकों के सदस्यों को पूरे सेवाकाल के दौरान दो बार मिलने वाले चश्में के प्रभार के रूप में रूपये 1500/— के खर्च के वहन हेतु ।
- (घ) मृत्यु के मामले में कल्याण निधि से तत्कालिक राहत के रूप में रूपये 20,000 /— की आर्थिक सहायता हेतु।

(1) कल्याण निधि की अंशदान *दरें (दिनांक 01 / 10 / 2020*)

पद	अंशदान (प.म.)
उ.म.नि. से महानिदेशक	300
द्वि.क.अ. से कमांडेंट	250
उप. कमांडेंट	200
निरी. से सहा. कमांडेंट	150
हव. से उ.नि.	100
सिपाही	50

CHAPTER - 06

WELFARE & AMENITIES FUND

The following benefits of this Fund would be extended to all members including non-combatised Ministerial and Hospital staff borne on the strength of the respective Units/ Offices: -

- a) To meet the expenses incurred on the entertainment or purchases effected for the welfare of the members.
- b) To meet expenditure on Religious functions / Regimental functions/National functions to the minimum extent as approved by the welfare committee.
- c) To meet the expenditure on account of Spectacle Charges upto Rs. 1500/-admissible twice during entire service to all ranks.
- d) Financial assistance from welfare fund in death case @ Rs. 20,000/ as Immediate Relief.
- (I) <u>SUBSCRIPTION RATE OF WELFARE FUND wef</u> 01/10/2020

Rank	Subscription (p.m)
DIG TO DG	300 BC
2-I/C TO COMDT	250
DC	200
INSP TO AC	150
HC TO SI	100
CT	50

अध्याय—07 कार्रवाई में शहीद कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायताओं का विवरण

(ক)	उदारीकृत पेन्शन अवॉर्ड (लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवॉर्ड) (एल.पी.ए.)	अंतिम आहरित परिलब्धियों के बराबर राशि	जीवन भर या विधवा के पुनर्विवाह तक।
(ख)	अनुग्रहराशि (केन्द्रीय)	i) रूपये 45 लाख	युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या ऐसे युद्ध जैसी स्थिति में होने वाली मृत्यु, जिन्हें विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो और विदेश में युद्ध-ग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान होने वाली मृत्यु ।
(ACE)	NTRAL R	ii) रूपये 35 लाख	मौसम की प्रतिकूलस्थिति में प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि के कारण अत्यधिक ऊंचाई, दुर्गम/अगम्य सीमा चौकियों पर कर्तव्य के दौरान होने वाली मृत्यु, और सीमाओं पर झड़प/मुठभेड़ और आतंकवादियों, उग्रवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकूओं/लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु

CHAPTER-07

DETAILS OF FINANCIAL ASSISTANCE ADMISSIBLE TO NOK OF PERSONNEL KILLED IN ACTION FROM CRPF AND CENTRAL GOVT.

(a)	Liberalized Pensionary Award (LPA)	Amount equal to emoluments last drawn.	For life time or until re-marriage of widow.
(b)	Ex-Gratia (Central)	i) Rs.45 lacs. ii)Rs.35 lacs.	Death occurring during enemy action in war or such war like engagements, which are specifically notified by Ministry of Defence and death occurring during evacuation of Indian Nationals from a war-torn zone in foreign country. Death occurring while on duty in the specified high altitude, inaccessible border posts etc on account of natural disasters extreme weather conditions etc, and death occurring in border skirmishes and action against militants, terrorists, extremists, sea pirates.

		iii) रूपये 25 लाख	कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु, आतंकवादी, समाज विरोधी तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली मृत्यु ।
(ग)	अनुग्रह राशि (राज्य)	पात्रता के अनुसार	इस पुस्तिका के अध्याय–11 में विवरण दर्शाया गया है।
(ঘ)	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति	i) एक वर्ष से कम सेवा।	मासिक परिलब्धियों का दो गुना ।
	उपदान(डी.सी. आर.जी.)	ii)एक वर्ष या उससे अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम सेवा।	मासिक परिलब्धियों का छः गुना ।
	55	iii)पांच वर्ष या उससे अधिक परन्तु 11 वर्ष से कम सेवा।	मासिक परिलब्धियों का बारह गुना ।
CE	NTRAL R	iv)11 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम सेवा।	मासिक परिलब्धियों का बीस गुना ।
		v)20 वर्ष या उससे अधिक ।	प्रत्येक पूर्ण छः माह की अर्हक सेवा अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियां, बशर्तें परिलब्धियों के अधिकतम 33 गुना तक।

		iii) Rs. 25 lacs	Death occurring due to accidents in the course of performance of duties and death occurring in the course of performance of duties attributable to acts of violence by terrorist, antisocial elements etc.
(c)	Ex-Gratia (State)	As per admissibility	Details mentioned in CHAPTER-11 of this
			booklet.
(d)	Death-	i) less than one	
	cum-	year service	emoluments.
	retirement	ii) One year or	Six times of monthly
	Gratuity	more but less	emoluments.
		than 5 years service.	
		iii) 5 years or	12 times of monthly
		more but less	emoluments.
		than 11 years	
15		service.	
/ Cz	NTRAL	iv) 11 years or	20 times of monthly
	NTD	more but less	emoluments.
	MAL	than 20	E FO.
		service.	emoluments. Half months of emoluments
		v) 20 years or	Trail months of chiodinents
		more	for every completed six
			monthly period of
			qualifying service subject to
			a maximum of 33 times of
			emoluments.

(ভ)	अवकाश	खाते में जमा	अंतिम मूल	वेतन तथा मंहगाई
	नकदीकरण	अर्जित अवकाश	भत्ता ।	
		(अधिकतम ३००		
		दिन)		
(च)	सामान्य	खाते में जमा		
	भविष्य	राशि + सेवा		
	निधि(जी.पी.	निवृत्ति / छोड़ने		Y
	एफ.)	की तारीख को		
		देय व्याज की		
		राशि।		
(छ)	जमा सम्बद्ध	सामान्य भविष्य		रंतर सेवा पूर्ण होने
	बीमा (डी.एल.	निधि में अंतिम	के बाद ।	
	आई.)	36 माह की		
		औसत शेष राशि		
		के बराबर राशि,		
		अधिकतम रू०		
		60,000 / -		
(ज)	सी.जी.ई.जी.	ग्रुप–'ए'	1,20,000/-	खाते में जमा
Pa	आई.एस.(केंद्र	ग्रुप—'बी'	60,000/-	अंशदानएवं ब्याज
CE	सरकार	ग्रुप—'सी'	30,000/-	ORCE
	0			
	बीमा योजना)		-6	यथोपरि
	जनवरी'1990	SE	2110	यथोपरि
	से प्रभावी	SERVE SUU 30 MIVA	POLICE	
(耔)	जोखिम निधि	रुपये 30 लाख		सभी पदों के लिए
		उत्तराधिकारी : 60%		
		माता्–पिता : 2:	5%	
		बच्चे : 1	<i>5</i> %	

(e)	Leave	Earned leave	Last basic pay plus DA.
	encashment	at credit	
		(maximum -	
		300 days)	
(f)	General	Amount at	
	Provident	credit plus	
	Fund	interest on	
	(GPF)	the date of	
		retirement/qu	
		itting service	
(g)	Deposit	Amount	After completion of 5 years
	Linked	equal to	continuous service.
	Insurance	average	
		balance of	
		last 36	
		months in	
		GPF subject	
		to maximum	
		of	
		Rs.60,000/-	

(h)-	C.G.E.G.I.S (Central Govt. Employees	Group A	1,20,	000/-	Plus subscription credited plus interest.
	Group Insurance Scheme) effective from Jan 1990	Group B Group C	30,00	. 10	-do-
(i)	Risk Fund	Rs. 30 lacs NOK Parents Children	60 25	% % % %	For all ranks

(স)	केन्द्रीय	रूपये 5,00,000/-	सभी पदों के
	कल्याण निधि		लिए
(ਟ)	कल्याण	रू.50,000 / – (केन्द्रीय कल्याण	यूनिट / ग्रुप
	निधि(यूनिट /	निधि से रू. 30,000/- एवं	केन्द्र / कार्यालय
	ग्रुप केन्द्र /	बटा० कल्याण निधि से रू.	से तत्काल
	कार्यालय) एवं	20,000)	वित्तीय सहायता
	केन्द्रीय		V
	कल्याण निधि		J
(ਰ)	चिकित्सा	*रू1,000 / – प्रति माह	जीवन भर के
	भत्ता		लिए।
			1

*नोट:- पेन्शनभोगी जो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना(सी.जी.एच.एस.)क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे केवल निर्धारित चिकित्सा भत्ते के रूप में रू0 1,000/- के हकदार/पात्र हैं ।

शहीदों के परिजनों को रू0 एक करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । सभी स्रोतों को मिलाकर वित्तीय सहायता की राशि रू0 एक करोड़ से कम होने की दशा में उसकी अंतर राशि "भारत के वीर" संग्रह निधि से भुगतान की जाएगी।



(j)	Central Welfare	Rs. 5,00,000/-	For all Ranks
	Fund		
(k)	WAF(Unit/GC/	Rs. 50,000/-	Immediate
	Office)&CWF	(Rs. 30,000/- from	financial
		CWF and Rs.	Assistance from
		20,000/- from unit	CWF and
	Quite 1	WAF)	Unit/GC/Office
			WAF.
(1)	Medical	* Rs.1,000/-p.m.	For life time
	allowance		

^{*}Note: Pensioners who are not residing in under CGHS covered areas are only entitled for grant of Rs. 1000/- towards fixed Medical allowance.

Financial assistance of Rs. One Crore is to be paid to family members of Martyrs. If the financial assistance from all sources is less than Rs. One Crore, the deficit amount is being paid out of "Bharat Ke Veer" corpus.



अर्ध सैनिक वेतन पैकेज (पी.एम.एस.पी.) खाता

बल के कर्मियों को पीएमएसपी खाते के लाभों का ब्यौरा जो मृत्यु के मामलों में आकरिमक / दुर्घटना बीमा के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी जा रही है, का विवरण निम्नानुसार है :-

			10	
		में)	वेरियंट (रू	7
क्	बीमा का प्रकार	स्वर्ण /	हीरक /	प्लेटिनम
सं.		गोल्ड	डॉयमंड	
1	वेतन पैकेज खातों	50 लाख	50 लाख	५० लाख
4	के लिए मानार्थ			
	(कॉम्पलीमेन्टरी)			
	व्यक्तिगत दुर्घटना			
	बीमा (मृत्यु) कवर।			
2	मानार्थ हवाई	100	100	100
	दुर्घटना बीमा (मृत्यु)	लाख	लाख	लाख
	शामिल है ।			
	(केवल तभी जब			
	बैंक डेबिट कार्ड /			
	इंटरनेट बैंकिंग का			
	· \			
7	पैकेज खाते में			ORG
	नेतिस हारा स्वार्ट			FU.
	जिल्ह्य स्ट्राप्ट		CE	
	ाटकट खराव गर	VE OC) ' '	
	अपयाग कर वतन पैकेज खाते में डेबिट द्वारा हवाई टिकट खरीदे गए हों)	VEY		
3	पूर्णतः अशक्तता	50 लाख	५० लाख	५० लाख
	कवर			

Para Military Salary Package (PMSP) account

The details of benefits of PMSP account to the force personnel extended by the State Bank of India under accidental insurance in death cases are as under:-

		Variant (Rs	s. In Lakh)	
S/No	Type of	Gold	Diamond	Platinum
	insurance			
1.	Complimentary	50 Lakh	50 Lakh	50 Lakh
	Personal			
	Accidental			
	Insurance (Death)			
	covers for Salary			
	Package			
	Accounts.			
2.	Complimentary #	100 Lakh	100 Lakh	100 Lakh
	Air Accidental			
	Insurance (Death)			
	cover.			
	(#only when air			
13	tickets are			104
/ Ce	purchased by			- = \
	debit to salary			ORCE
	package account		F	0.
	using State Bank		1CE	
	Debit Card/	00	'	
	Internet Banking)	RVE PO		
3.	Permanent total	50 Lakh	50 Lakh	50 Lakh
	Disability cover			

अध्याय-08

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को केन्द्र सरकार से मिलने वाले सेवा-निवृत्ति लाभ

(31/12/2003 तक नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू)

01. पेन्शन

(क) पेन्शन : अंतिम 10 माह की औसत परिलिब्धियों का 50 प्रतिशत या अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत, जो भी उनके लिए लाभदायक हो, बशर्ते न्यूनतम पेंशन रू. 9,000 हो । पेन्शन की गणना निम्नानुसार है :-

अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियां :--

उदाहरण— सेवानिवृत्ति की तारीख : 31/12/2017 अर्हक सेवा : 33 वर्ष औसत परिलब्धियां : 37,000/— पेन्शन :—<u>37,000 x 50</u>= 18,500/— प्रति माह 100 (वर्तमान में)

(ख) इनवेलिडेशन पेन्शनः सरकारी डयूटी के आयोग्य नहीं होने पर अशक्त होने वाले कार्मिक श्रेणी—ए के अंतर्गत आते हैं और वे मूल वेतन के50 प्रतिशत के लिए हकदार/पात्र हैं, बशर्ते पेन्शन न्यूनतम रू० 9,000/प्रति माह से कम न हो । उदाहरण —लागू पेन्शनः—<u>39,200 x 50</u>= 19,600 प्रतिमाह

CHAPTER-08

RETIREMENT BENEFITS TO CRPF PERSONNEL FROM CENTRAL GOVERNMENT

(Applicable for personnel appointed upto 31/12/2003)

01. PENSION

a) **PENSION:-** 50% of average emoluments of last 10 months or 50% of last Basic Pay whichever is more beneficial subject to minimum pension Rs,9000/- p.m. Calculation of pension is as under:-

Average emoluments of last 10 months.

Example -Date of retirement : 31/12/2017

Qualifying service : 33 Years.

Average Emoluments : 37,000/-

Pension = $\frac{37000 \text{ X}50}{100}$ = 18,500 as on date

b) **INVALIDATION PENSION:** Personnel invalidated out due to the causes not attributable to Govt. Duty comes under **category-A** and are entitled for 50% of Basic Pay. Subject to minimum pension Rs. 9,000/p.m.

Example-Pension admissible= $\underline{39,200 \times 50}$ =19,600 p.m. 100

ग) अशक्तता पेंशन (डिसएबिलटी पेंशन)–डिसएबिलिटी पेंशन निम्नानुसार उल्लिखित श्रेणियों के तहत देय / लागू है, न्यूनतम रू. 18,000 / – प्रति माह। अशक्तता की सीमा निम्नलिखित तरीकेसे निर्धारित की जाएगी: -

मेडिकल बोर्ड द्वारा आंकी गई अशक्तता का प्रतिशत	अशक्तता घटक की गणना करने के लिए
	माना जाने वाला प्रतिशत
50% तक	50
50 % से अधिक और 75 %तक	75
75 % से अधिक और 100% तक	100

i)'बी' 'सी' और डी श्रेणियों के लिए:-

ए) 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए 01.01.2016 को कल्पित वेतन (नोशनल पे) के 50 प्रतिशत के बराबरसेवा घटक एवं अपंगता घटक के कल्पित वेतन (नोशनल पे) के 30 प्रतिशत के बराबर, इन दोनों को मिलाकर अशक्ततापेंशन होगी।

बी)100 प्रतिशत से कम अशक्तता के लिए अशक्तता घटक आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

उदाहरण -i) 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए अशक्तता पेंशन :-

- (सेवा घटक+ अशक्तता घटक)

 > सेवा घटक(सर्विस एलीमेन्ट) = अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत्
 (अर्थात् 39,200 x 50 / 100 = 19,600/-)
 - > अशक्तता घटक : 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए अंतिम मुल वेतन का 30 प्रतिशत (अर्थात् 39,200 x 30 / 100 = 11,760/-)

अशक्तता पेंशन= रू० 19,600 / - + रू० 11,760/-=रू0 31,360 / - प्रतिमाह

c) **DISABILITY PENSION:** Disability pension is entitled under categories mentioned as under, subject to a minimum of Rs. 18,000/- per month. The extent of disability shall be determined in the following manner: -

Percentage of disability	Percentage to be reckoned
assessed by Medical Board	for computation of
	disability element.
Upto 50 %	50
More than 50 and upto 75%	75
More than 75 and upto	100
100%	

For Categories 'B''C'& D i)

- Disability pension would comprise of a service element equal to 50 % of the notional pay as on 01.01.2016 plus disability element equal to 30% of the same notional pay, for 100% disability.
- b) For disability less than 100%, disability element shall be reduced proportionately.

Example –

i) Disability Pension per month for 100 % disability.:

(Service element + Disability element)

- Service element = 50% or (i.e. $39,200 \times 50 / 100 = 19,600/-$) ➤ Service element = 50% of last B/Pay
 - ➤ Disability element = 30% of last B/Pay for 100% disability

(i.e. $39,200 \times 30 / 100 = 11,760/-$)

Disability pension = Rs. 19,600/- + Rs.11,760= Rs. 31,360/- p.m.

घ) 'ई' श्रेणी के लिए :-

- क) 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए सेवा घटक में 01/01/2016 को किल्पत वेतन (नोशनल पे) के 50 % के बराबर एवं अपंगता घटक हेतु 01/01/2016 के वहीं सामान्य वेतन के बराबर, इन दोनों को मिलाकर अशक्तता पेंशन होगी।
 - ख) निम्नतम प्रतिशत् अशक्तता के लिए अशक्तता घटक आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा ।
- ड) मृत्यु होने पर परिवारिक पेन्शन (कार्रवाई में मारे गए):— उदारीकृत पेंशन अवॉर्ड (एलपीए)—निकटत्म संबंधी को अंतिम आहरित वेतन का 100 प्रतिशत्। विधवा के पुनः विवाह के मामले में जीवन भर सामान्य पारिवारिक पेंशन।
- च) <u>अन्य प्रकार की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेन्शन :—</u>
 पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर अर्थात दिवंगत कार्मिक की मृत्यु से 10
 साल तक के लिए आहरित किए गए अंतिममूल वेतन का 50प्रतिशत, उसके
 बाद पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर (अंतिम आहरित वेतन का 30
 प्रतिशत) (न्युनतम रू 9,000 / प्रति माह)।
- छ) असाधारण पारिवारिक पेन्शन के तहत पारिवारिक पेन्शन:-
 - ए) 'बी' और 'सी' श्रेणी के लिए
 - (i) दिवंगत सरकारी कर्मचारी पेन्शन योग्य पद पर नहीं होने पर उसे दिनांक 01.01.2016 को कल्पित वेतन (नोशनल पे) का 40 प्रतिशत, न्यूनतम रू. 11,700/— प्रति माह ।
 - (ii) दिवंगत सरकारी कर्मचारी पेन्शन योग्य पद पर होने पर, उसे दिनांक 01.01.2016 को कल्पित वेतन (नोशनल पे) का 60 प्रतिशत्, न्यूनतम रू. 18,000/— प्रति माह ।

d) For Categories "E"

- a) Disability pension would comprise of a service element equal to 50% of the notional pay as on 01.01.2016 and disability element equal to the same normal pay as on 01.01.2016 for 100% disability.
- b) For lower percentage of the disability, the disability element shall be reduced proportionately.

e) FAMILY PENSION ON DEATH (KILLED IN **ACTION):-**

Liberalized Pensionary Award(LPA), 100% of Last pay drawn to NOK. In case of re-marriage of widow, normal family pension for lifetime.

FAMILY PENSION IN OTHER DEATHS: f)

Enhanced rate of family pension i.e. 50% of last Basic Pay drawn for 10 years from the date of death of the Deceased there after normal rate of family pension (30% of last pay drawn) (Minimum Rs. 9,000/- p.m.).

g) FAMILY PENSIONUNDER EXTRAORDINARY **FAMILY PENSION:**

- For Categories "B" & "C"
- a) For Categories D ...

 (i) The deceased Government servant was not payionable post; 40% of notional pay as on 01.01.2016, subject to a minimum of Rs. 11,700/- p.m. V
 - (ii) The deceased Government servant was holding a pensionable post; 60% of notional pay as on 01.01.2016, subject to a minimum of 18,000/- p.m.

- बी) 'डी' और 'ई' श्रेणी के लिए:-
- (i) विधवा को पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.2016 को कल्पित वेतन (नोशनल पे) के बराबर होगी, जो न्यूनतम रु.18,000 / -प्रति माह होगी।
- ज) पेन्शन का सारांशीकरण (कम्यूटेशन):-पेंशनकम्यूटेशन राशि की गणना :-एकमुश्त देय= सारांशीकरण (कम्यूटेशन) गुणनx12x पेन्शन का 40 प्रतिशत या कम्यटेशन के लिए प्रस्तावित पेंशन।

पेन्शन उदाहरण :-18500 पेन्शन का 40 प्रतिशत 7400 अगले जन्म दिन को आयू 61 कम्यटेशन गुणन = 8.194 कम्यूटेशन पेन्शन की राशि= 7400X12X8.194 =रू07,27,627.20/- अर्थात् रू07,27,627/-

- उपदान (ग्रेच्युटी) :-सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी) की दर प्रत्येक पूर्ण छः 02. मासिक अवधि की अर्हक सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) के लिए अंतिम आहरित एक चौथाई परिलब्धियां हैं, जो परिलब्धियों का अधिकतम 161/2 गूना या रु. 20 लाख में से जो भी कम हो।
- 1. सेवानिवृत्ति उपदान की गणना

अंतिम आहरित वेतन + मंहगाई भत्ता (सेवानिवृत्ति / मृत्यू के समयपर) x ICE FORCE छः मासिक अवधि ÷ 4

उदाहरणः

अंतिम आहरित वेतन : 37,000 / –

अर्हक सेवा

: 33 वर्ष

37,000 + 1850 (मंहगाई भत्ता) x 66 छः मासिक अवधि(एसएमर्प

= 37000+1850x66

= 38850x66= 6,41,025

b) For Categories "D" & "E"

(i) Family pension to the widow shall be equal to the notional pay as on 01.01.2016, subject to a minimum of Rs. 18,000/- p.m.

h) **COMMUTATION OF PENSION:**

Calculation of Commutation value of pension Lumpsum payable = Commutation factor x 12 x 40% of pension Or pension offered for commutation.

Pension Example: = 1850040% of pension = 7400Age next birthday = 61Commutation factor = 8.194Amount of commutation Pension= 7400X12X8.194

= Rs.7,27,627.20/- R/O Rs.7,27,627/-

02. GRATUITY:-

Rate of retirement gratuity is ¼ of emoluments last drawn for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16-1/2 times of the emoluments or Rs. 20 lacs whichever is less.

1. Calculation of Retirement gratuity

Last Pay drawn+ DA (on the date of retirement/death) x six monthly period \div 4.

Example:

:37000 ORCE Last pay u.u.... Qualifying Service 33 Years 37000 + 1850 (DA) X 66 smp $= 37000 + 1850 \times 66$ = 38850x66= 6,41,025

2. मृत्यु उपदान की गणना :--

सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों में	परिवार को देय/लागू मृत्यु उपदान
मृत्यु उपदान निम्नलिखित दरों पर	S 5
पर देयहैः –सेवा की अवधि	
01 वर्ष से भी कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष या उससे अधिक परन्तु	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष से कम	
05 वर्ष या उससे अधिक परन्तु	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
20 वर्ष से कम	
20 वर्ष या उससे अधिक	प्रत्येक पूर्ण छः मासिक अर्हक सेवा की
	अवधि के लिए परिलिध्ययों का आधा,
	अधिकतम 33 वर्ष की परिलब्धियां या
	रुपये बीस लाख में से जो भी कम
	हो।

उदाहरण

अंतिम आहरित वेतन : 37,000/-अर्हक सेवा 33 वर्ष

37000 + 1850 (मंहगाई भत्ता) x 66(एसएमपी)

CENTRAL RES<mark>388!</mark> = <u>37000+1850x66</u>

= 12,82,050 FORCE

3. अवकाश का नकदीकरण :

सेवानिवृत्ति या मृत्यु या सेवा छोड़ने पर, अधिकतम 300 दिनों के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों के बराबर राशि।

2. Calculation of Death gratuity

Death Gratuity is admissible in the case of death in service at following rates:-

service at rone wing rates.					
Length of Service	Death Gratuity payable to family				
Less than one year	2 times of monthly emoluments.				
One year or more	6 times of monthly emoluments				
but less than 5					
years					
5 years or more, but	12 times of monthly emoluments.				
less than 20 years.					
20 years or more	Half of emolument for every				
	completed six monthly period of				
	qualifying service subject to a				
	maximum of 33 times of				
	emoluments or Rupees Twenty				
	Lakhs whichever is less.				

Example:

: 37000 Last pay drawn Qualifying Service 33 Years

37000 + 1850 (DA) X 66 smp

37000+1850x66

CENTRAL RES 38850x66 FORCE

03 ENCASHMENT OF LEAVE

On retirement or death or quitting from service, amount equivalent to emoluments last drawn subject to maximum of 300 days.

ए) अधिकतम अर्जित छुट्टी — 300 दिन । उदाहरण :

अंतिम आहरित वेतन + सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने के समय मंहगाई भत्ता×अर्जित छुट्टी के कुल दिन, अधिकतम 300 दिन

30

मूल वेतन — 37,000 अंतिम आहरित वेतन + सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने के समय मंहगाई भत्ता

> मंहगाई भत्ता@05 प्रतिशत — 1850 जमा अर्जित छुट्टी — 200 दिन नकदी के समतुल्य <u>= 37000+1850 x 200</u> = 2,59,000/-

बी)अर्ध वेतन छुट्टी (एच.पी.एल) = <u>37000+1850 X 100</u> = 64,750/-30X2

4. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना

केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है मासिकअंशदान तथा बीमा सुरक्षा कवर निम्नलिखित हैं:--

ग्रुप मासिक अंशदान की दर बीमा राशि
"ए" रू० 120/- रू० 1,20,000/"बी" रू० 60/- रू० 60,000/"सी" रू० 30/- रू० 30,000/-

a) Earned leave maximum -300 days

Example:

<u>Last pay drawn+D.A on date of retirement/</u> <u>Quitting service x No of days of E/L subject</u> <u>to maximum 300 days</u>

30

Basic Pay-37000 Last pay drawn + D.A on date of retirement/quitting service.

DA @ 5%

1850

EL at credit

200 days

Cash equivalent=37000+1850X200=2,59,000/-

30

b) HPL =
$$\frac{37000+1850 \times 100}{30 \times 2}$$
 = 64,750/-

04. <u>CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP</u> INSURANCE SCHEME

The scheme is compulsory to all the Central Government employees. Monthly subscription and amount of insurance cover is as under:-

Group Rate of Subscription Amount of insurance covered

"A" Rs. 120/5

Rs. 1,20,000/

"B"

Rs. 60/-

Rs. 60,000/-

"C" Rs. 30/-

Rs. 30,000/-

मृत्यु होने पर हकदारी= बीमा सुरक्षा कवर की राशि + सरकार द्वारा परिचालित वार्षिक विवरणी के अनुसार मृत्यु तक जमा हुई अशंदान राशि। सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने पर अनुदान= सरकार द्वारा परिचालित वार्षिकविवरणी के अनुसार सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने की तिथि तक जमा अंशदान की राशि।

- 5. <u>चिकित्सा भत्ता :</u> रू० 1,000 / प्रतिमाह (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आने वाले पेंशनभोगी ही इसके पात्र है)
- 6. सामान्य भविष्य निधि

सामान्य भविष्य निधि की गणना

वर्ष-2018-19, अंत शेष - 38,600/-

(7.9 प्रतिशत ब्याज की दर से दिनांक—01/04/19 से 30/06/19 तक की अवधि का ब्याज की गणना)

मास	अंशदान	ब्याज	कुल	आंशिक	मासिक
		की दर		निकासी	शेष
अप्रैल 19	1000	0	1000	0	39600
मई 19	1000	0	1000	0	40600
जून 19	1000	0	1000	0	41600
कुल	3000	0	3000	0	121800

कुल प्रोग्रेसिव	121800	प्रारंभिक शेष	38600
मासिक औसत	10150	जमा राशि	3000
TRA		ब्याज	802
.47		कुल	42402
	ESL	डेबिटस	00
	SA	शुद्ध राशि	42402

Entitlement on death = Amount of insurance cover plus amount of subscription deposited on death as per table circulated by Govt. annually.

Entitlement on retirement/quitting service = Amount of subscription deposited on the date of retirement/quitting service as per table circulated by Govt. annually.

MEDICAL ALLOWANCE: Rs. 1,000/- p.m. (Pensioners who are residing in non CGHS covered areas only are entitled).

06. GENERAL PROVIDENT FUND

CALCULATION OF GPF

Year 2018-19, Closing Balance - 38,600/-

(Calculation of Interest for the period w.e.f 01/04/19 to 30/06/19 @ 8%)

MONTH	SUBS	R.O.A	TOTAL	WITHDRA	MONTH
				WALS	BALANCE
April 19	1000	0	1000	0/	39600
May 19	1000	0	1000	0	40600
June 19	1000	0	1000	0	41600
TOTAL	3000	0	3000	0	121800

Total Progressive	121800	Opening Balance	38600
Monthly Average	10150	Deposits	3000
		Interest	812
	CRV	Total	42412
		Debits	00
		Net Amount	42412

भाग-दो

(7.9 प्रतिशत ब्याज की दर से दिनांक-01/07/19 से 31/03/20 तक की अवधि का ब्याज की गणना)

मास	अंशदान	ब्याज	കപ		निकासी	मासिक शेष
חות	जरापाग		कुल		111971311	नारापर राप
		की दर				
जुलाई 19	2000	0	200	0	0	43600
अगस्त 19	2000	0	200	0	0	45600
सितंबर 19	2000	0	200	0	0	47600
अक्टूबर 19	2000	0	200	0	0	49600
नवंबर 19	3000	0	300	0	40000	12600
दिसंबर 19	3000	0	300	0	0	15600
जनवरी 20	3000	0	300	0	0	18600
फरवरी 20	3000	0	300	0	0	21600
मार्च 20	3000	0	300	0	0	24600
कुल	23000	0	2300	0	40000	279400
कुल प्रोग्रेसिव	ı 📑	279400		प्रारं	भिक शेष	42412
मासिक औस	п	17883	III	जम	ा राशि	23000
			ब्याज		1839	
			कुल		67251	
3 = 1			डेबि	टस	40000	
7				शुद्ध	राशि	27251

ब्याज - कुल प्रोग्रेसिव x ब्याज की दर 12 x 100 नोट : कॉलम नं0 2 में, अप्रैल माह में मार्च एवं अप्रैल के वेतन का मासिक अंशदान दिखाया जाएगा। कॉलम नं0 6 के लिए कुल प्रोग्रेसिव (मासिक शेष) अप्रैल का अंशदान मार्च में एवं मई में अप्रैल का अंशदान दिखाया जाएगा एवं वर्ष की समाप्ति पर मार्च में फरवरी का दिखाया जाएगा।

Part-II

(Calculation of Interest for the period w.e.f 01/07/19 to 31/03/20 @ 7.9%)

MONTH	SUBS	R.O.	TOTAL	WITHDRAWALS	MONTH
		A.			BALANCE
July 19	2000	0	2000	0	43600
Aug 19	2000	0	2000	0	45600
Sep 19	2000	0	2000	0	47600
Oct 19	2000	0	2000	0	49600
Nov 19	3000	0	3000	40000	12600
Dec 19	3000	0	3000	0	15600
Jan 20	3000	0	3000	0	18600
Feb 20	3000	0	3000	0	21600
Mar 20	3000	0	3000	0	24600
TOTAL	23000	0	23000	40000	279400

Total Progressive	279400	Opening Balance	42412
Monthly Average	23283	Deposits	23000
		Interest	1839
Cr.		Total	67251
CNTD		Debits	40000
'A/		Net Amount	27251

Interest Total progressive x rate of interest 12x100

Note:-In Col. II monthly subscription realized from pay of March and April will be shown in April. For progressive total in Col. No.6 (Monthly Balance) the subscription of March will be shown in April and April in May and so on and the end of year February in March.

07. सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ता

- i) पात्रता के अनुसार स्वयं और परिवार के लिए।
- ii) संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (पिछले माह के मूल वेतन का 80 प्रतिशत)।
- iii) परिवहन पर व्यक्तिगत सामान ले जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति।



07. TA ON RETIREMENT

- i) Travel entitlement for self and family.
- ii) Composite Transfer grant (80% of the last month's basic pay.
- iii) Reimbursement of charges of personal effects on transport.
- iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.



अध्याय–09

केन्द्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त नये कर्मचारियों को **राष्ट्रीय** पेंशन योजना के तहत

दिनांक 1/1/2004 को या उसके पश्चात नियुक्त हुए केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। सेवानिवृत्ति पर अंतिम भुगतान करने संबंधी नियमों को सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप देना शेष है। तथापि राष्ट्रीय पेंशन योजना में आने वाले बल के कार्मिकों/निकटतम संबंधियों को अगले आदेश तक निम्नलिखित लाभ अस्थायी रूप से प्रदान किए गए हैं :-

- (1) सरकारी सेवा से अशक्तता पर सेवानिवृत्त होने पर जोकि सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं हुई है।
 - (i) के.सि.से.(पेंशन) नियमावली— 2021 के नियम 39 और नियम 44 के अनुसार अशक्तता पेंशन की गणना की जाएगी।
 - (ii) कें.सि.से.(पेंशन) नियमावली 2021 कें नियम 45 के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की गणना की जाएगी।
- (II) सेवा के दौरान मृत्यु होने पर जो कि सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं हुई है।
 - (i) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर की पारिवारिक पेंशन सहित) की गणना के.सि.से.(पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 50 के अनुसार की जाएगी।
 - (ii) मृत्यु उपदान की गणना के.सि.से.(पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 45 के अनुसार की जाएगी।
- III) र सरकारी ड्यूटी के दौरान बीमारी / घायल होने के कारण सरकारी सेवा से डिस्चार्ज होने पर :-
 - (i) के.सि.से.(असाधारण पेंशन) नियमावली के अनुसार अशक्तता पेंशन की गणना की जाएगी।
 - (ii) के.सि.से.(पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 45 के साथ पठित के.सि.से. (असाधारण पेंशन)के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की गणना की जाएगी।

CHAPTER-09

PENSIONARY BENEFITS IN NATIONAL PENSION SCHEME FOR NEW ENTRANTS TO CENTRAL GOVT SERVICES

National Pension Scheme is applicable to all Central Government servants who are appointed on or after 1/1/2004. **Rules governing final payment on retirement are yet to be finalized by the Government.** However the following benefits extended to Force personnel/NOKs covered by the National Pension Scheme on **provisional basis** till further orders:

- (I) Retirement from Government service on invalidation <u>not</u> <u>attributable</u> to Government duty:
 - i) Invalid pension calculated in terms of Rule 39 and Rule 44 of CCS (Pension) Rules, 2021.
 - ii) Retirement gratuity calculated in terms of Rule 45 of CCS (Pension) Rules 2021.
- (II) Death in service <u>not attributable</u> to Government duty:
 - (i) Family Pension (including enhanced family pension) computed in terms of Rule 50 of CCS (Pension) Rules, 2021.
 - CCS (Pension) Rules, 2021.

 (ii) Death gratuity computed in terms of Rule 45 of CCS (Pension) Rules, 2021.
- (III) Discharge from Government service due to disease/injury <u>attributable</u> to Government duty:
 - (i) Disability pension computed in terms of CCS (Extraordinary pension) Rules.
 - (ii) Retirement gratuity computed in terms of CCS (Extraordinary Pension) Rules read with Rule 45 of CCS (Pension) Rules, 2021.

- (IV)
- सरकारी ड्यूटी के कारण मृत्यु होने पर :-(i) के.सि.से.(असाधारण पेंशन) नियमावली और उदार पेंशन लाभकी योजना के अनुसार असाधारण पेंशन की गणना की जाएगी।
 - (ii) के.सि.सं.(पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 45 के अनुसार मृत्यु उपदान की गणना की जाएगी।

कर्मचारी / उसके परिवार को उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त समय-समय पर देय महंगाई पेंशन / महंगाई राहत भी अस्थाई आधार पर दी जायेगी।

अन्य लाभ : V)

1	अनुग्रह राशि	1. रू० 35,00,000 कार्रवा	ई से हुई मृत्यु के मामले में।
	(केन्द्रीय) 2. रू० 25,00,000 ड्यूटी पर सरकारी कार्य के दौरान		
	जोखिम/दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में।		
	7	रेजीमेंटल र	नेधि से
2	कल्याण एवं	₹50 50,000 / -	तत्काल वित्तीय सहायता
	सुविधानिधि	(₹50 30,000 /-	(दि0 1/1/2013 से)
		के0क0निधि से और	
		रू0 20,000/−	
		कल्याण निधि से।	
3	केन्द्रीय कल्याण	₹50 5,00,000/-	मृत्यु के मामले में (दिनांक
	निधि(सी0		01/11/2021 ₹)
	डब्ल्यू०एफ०)		
4	जोखिम निधि	रू० ३० लाख	कार्रवाई के दौरान मृत्यु पर
LEV	170	रू० 20 लाख	सभी प्रकार की
	जाखम निध		मृत्यु होने पर । (दिनांक 01/11/2021)
	17		01/11/2021)

Death in service attributable to Government duty: (IV)

- (i) Extraordinary Family Pension computed in terms of CCS (Extraordinary pension) Rules and Scheme for Liberalised pensionary awards.
- Death gratuity computed in terms of Rule 45 of CCS (ii) (Pension) Rules, 2021.

The employees/his family will also be paid Dearness Pension/Dearness Relief admissible from time to time in addition to the above benefits on provisional basis.

(V) Others assistance:

()	_			
1.	Ex-Gratia 1.	Rs. 35,00,000/- in case	of death in action.	
	(Central) 2.	Rs. 25,00,000/- in case	of death due to accident/Risk	
	of office while on duty			
		FROM REGIMENTA	AL FUND.	
2	Welfare &	Rs. 50,000/-	Immediate financial	
	Amenities	(Rs.30,000/- from	Assistance.	
	Fund.	CWF and Rs.	(w.e.f. 01/01/2013)	
		20,000/- from WAF)		
3	Central Welfare	Rs. 5,00,000/-	(w.e.f. 01/11/2021) in case	
	Fund (C.W.F.)		of death.	
4	Risk Fund	Rs. 30 lacs	Death in Action	
7		Rs. 20 lacs	All other types deaths.	
/ C	W.e.f. 01/11/2021 E *****			
	-WTD		w.e.f. 01/11/2021	
TA/				
RESERVE POLICE				
10'EA OLIV				
	'AVE P			

अध्याय-10

के०रि०पु०बल परिवार कल्याण संस्था (कावा) द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियां

1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम—XXI के तहत केरिपुबल महिला कल्याण संस्था (कावा) को औपचारिक रूप से सीआरपीएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (सीडव्यलूडव्यलूए) के रूप में 22 जून 1995 को रिजस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज दिल्ली सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया था। इसका लोगो 08 सितंबर 2005 को संशोधित किया गया था और रिजस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा 02 मई 2014 को इसे केरिपुबल परिवार कल्याण संस्था (कावा) के रूप में संशोधित किया गया। विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ इस संस्थान का अपना अलग ज्ञापन है। कावा एक गैर लाभकारी संस्था है एवं आयकर विभाग के साथ एनजीओ के रूप में पंजीकृत है।

शासी निकाय एवं केन्द्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी) के सदस्यों इत्यादि द्वारा केरिपुबल महिला कल्याण संस्था की देखरेख कीजाती है। कावा दिल्ली में केन्द्रीय स्तर पर केरिपुबल महानिदेशक की धर्मपत्नी (अध्यक्षा कावा) की अध्यक्षता में तथा क्षेत्रीय केरिपुबल परिवार कल्याण संस्था प्रत्येक ग्रुप केन्द्र में तथा आर.ए.एफ. यूनिट में केरिपुबल के जवानों तथा उनके परिवारों के कल्याण की देखरेख के लिए कार्यरत है । वर्तमान समय में 69 आर सी डब्लूयू ए स्था पि तहै।

इस संस्था की स्थापना जिन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों हेतु की गई है, उनका विवरण निम्नानुसार हैं:-

- केरिपुबल की महिलाओं में हुनर को निपुण करने और उनके अंदर प्रबंधकीय कौशल विकसित करने हेतु।
- विधवाओं, विकलांगों एवं मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चों और केरिपुबल के विकलांग कार्मिकों के पूर्नवास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

CHAPTER-10

ACTIVITIES UNDERTAKEN BY CRPF FAMILY WELFARE ASSOCIATION (CWA)

The CRPF family Welfare Association (CWA) was formally registered as CRPF Wives' Welfare Association (CWWA) by the Registrar of Societies, Govt. of Delhi under Societies Registration Act-XXI of 1860 on 22 June 1995. Its Logo was amended on 8th September 2005 and further name amended as CRPF family Welfare Association (CWA) on 2nd May 2014 by the Registrar of Societies, Govt. of NCT of Delhi. The association is having its separate memorandum with various aims & objects. The CWA is a non-profit making society and registered as NGO with Income Tax Department.

The CRPF family Welfare Association is managed by Governing Body and Central Executive Committee (CEC) members etc. The CWA is working centrally at Delhi under the presidential-ship of w/o DGCRPF (president CWA) to look after the welfare of our jawans and their families and Regional CRPF family Welfare Association (RCWA) at various Group Centre/Training Institutions/Signal Units/CoBRA Units and RAF units. There are total of 69 RCWAs established at present.

Main aim and objectives for which the association is established are as under:-

- To generate a sense of accomplishment in the minds of CRPF ladies and to develop managerial skill in them
- To promote programmes for rehabilitation of widows, differently abled and mentally retarded children and differently abled CRPF personnel.

- केरिपुबल के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए शैक्षिक / व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के विकास हेतु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
- अन्य संगठनों एवं विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के साथ सहयोग से करना।
- तनाव प्रबंधन, एचआईवी / एड्स की रोकथान, शराब और नशीली दवाओं के व्यसन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- केरिपुबल परिवारों को सुदृढ करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत धन जुटाने हेतु।
- सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों को आयोजित करने के लिए।
- संस्था के समस्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जैसा संस्था उचित समझे, निधि का संचालन एवं निवेश करना।
- परिवार परामर्श उनके पारिवारिक समस्याओं का समाधान एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करने कें लिए।
- महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मृतक कार्मिको के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।

परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं केरिपुबल के कार्मिकों व उनके परिवार के सदस्यों को सुदृढ़ करने के लिए कावा ने विभिन्न योजनाओं की पहल करने का दायित्व उठाया है। इन प्रयासों में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलों में परिवार कल्याण केन्द्र के तहत परिवारों के लिए अतिरिक्त आय, विधवाओं / विकलांगों के पुनर्वास, बल के कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल है।

- To pursue programmes to facilitate development of academic/vocational skills training for the serving and retired CRPF personnel and their families.
- To work in co-operation with other organizations and departments of various Ministries.
- Stress management, HIV/AIDS prevention, alcohol and drug de-addiction and other healthcare programmes.
- To raise funds for various welfare schemes affecting the well being of CRPF families.
- To organize cultural and sports activities.
- To invest and deal with the funds of the Association as deemed fit to meet the overall aim and objectives of the Association.
- Family counseling To support family for solving their family problems and Financial Management.
- Vocational training for ladies.
- Scholarship to children of deceased personnel.

CWA has undertaken various schemes relating to family health care and the overall well being of CRPF personnel and their family members. These efforts include various initiatives taken in the field of education of the children, extra earning for the family through family welfare centres, rehabilitation of widows/disabled, vocational training to family members of force personnel etc.

आय का स्रोत

- सार्वजनिक / निजी संगठनों से स्वैच्छिक दान और योगदान, धर्मार्थ संस्थानों, सरकारी अथवा अर्ध—सरकारी संगठनों या संस्था के सदस्यों से अनुदान।
- क्षेत्रीय कावा द्वारा आयोजित धन संग्रह अभियान से ।

कावा द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं

1. मुस्कान योजना

यह योजना दिनांक 06/01/2016 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत के.रि.पु.बल के सेवारत/सेवानिवृत/मृत कार्मिको के दिव्यांग बच्चों को प्रति वर्ष व्हील चेयर वितरण की जाती है। योजना को चलाने के लिए रुपये 20,00,000/-(रुपये बीस लाख) मात्र को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया गया है और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को योजना चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोष को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इस योजना के उद्देश्यों के अनुसार इसे चलाने के लिए ब्याज राशि का उपयोग किया जाएगा।

Source of Income:-

- From voluntary donations and contributions from the public/private organizations, grants from charitable institutions, Govt. or semi-government organizations or members of the Association.
- From fund collection drives organised by RCWAs.

WELFARE SCHEMES BEING RUN BY CWA: -

1. MUSKAAN-THE SMILE SCHEME: The scheme was launched on 06/01/2016. Wheel Chairs are distributed to the disabled wards of serving/retired/deceased CRPF personnel every year. To run the scheme a sum of Rs. 20,00,000/- (Rupees Twenty Lakhs) Only has been fixed in a nationalized bank as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposit is utilized to run the scheme. The corpus would be kept intact and interest component would be used to run the project as per the objectives of this scheme.

2. कावा खेल छात्रवृति योजना

यह योजना दिनांक 27/11/2019 को शुरू हुई। खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक विजेताओं / प्रतिभागियों को रुपये 25,000/— और राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक विजेताओं (स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता) को रुपये 15,000/— वित्तीय सहायता के रूप में केरिपुबल के सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद व मृत कार्मिकों के बच्चों को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने की तैयारी करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस योजना को चलाने के लिए रुपये 50,00,000/— (रुपये पचास लाख) मात्र राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया गया है और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को योजना चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोष को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इस योजना के उद्देश्यों के अनुसार इसे चलाने के लिए ब्याज राशि का उपयोग किया जाएगा।

3. स्पर्श-मातृ स्पर्श योजना यह योजना दिनांक 27/11/2019 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जवान को अधिकतम दो नवजात बच्ची (पहली एवं दूसरी संतान) के लिए रुपये

2. CWA SPORTS SCHOLARSHIP SCHEME:-

The scheme was launched on 27/11/2019, financial assistance of Rs. 25,000/- to each achievers/ participants of international level and Rs. 15,000/to each achiever (Gold/Silver/Bronze medal winner) of national level sport events is given to the wards of serving/retired/shaheed & deceased crpf personnel. Through the scheme finacial assistance is also given to the wards of serving/retired/Martyr & deceased CRPF personnel for preparation to participate in international level sport events. To run the scheme a sum of Rs. 50,00,000/-(Rupees Fifty Lakhs) Only Has been fixed in a nationalized bank as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposit is utilized to run the scheme. The corpus would be kept intact and interest component would be used to run the project as per FORCE The objectives of this scheme.

3. SPARSH-THE MOTHER'S TOUCH SCHEME:

The scheme was launched on 27/11/2019. Rs. 2,000/- is given to each newly born girl child (first and second child) of each jawan. fund was

2000 / — (रुपये दो हजार) राशि दी जाती है। वर्ष 2021 के दौरान 182 नवजात बालिकाओं के माता—पिता को राशि दी गई। योजना को चलाने के लिए रू. 1,50,00,000 / — (रुपये एक करोड़ पचास लाख) मात्र राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया गया है और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को योजना चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोष को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इस योजना के उद्देश्यों के अनुसार इसे चलाने के लिए ब्याज राशि का उपयोग किया जाएगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र योजना यह योजना दिनांक 18/03/2020 को आरम्भ हुई। कावा अधिकारियों / जवानों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य तथा तनाव / चिंता के स्तर को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाएं / पाठयकम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कावा वर्ष में केवल एक बार "स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र " (WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM) योजना के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा कक्षाओं / पाठयकर्मों के खर्च का वहन करती है। योजना को चलाने के लिए रूपये 1,99,99,990 / – (रुपये एक करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ नब्बे) मात्र राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया गया है और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को योजना चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोष को अक्षणण रखा जाएगा और इस योजना के उद्देश्यों के अनुसार इसे चलाने के लिए ब्याज राशि का उपयोग किया जाएगा ।

released to the parents of 182 newly born girl child during the year 2021. To run the scheme a sum of Rs. 1,50,00,000/- (Rupees One Crore Fifty Lakhs) Only has been fixed in a nationalized bank as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposit is utilized to run the scheme. The corpus would be kept intact and interest component would be used to run the project as per the objectives of this scheme.

4. WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM **SCHEME:-** The scheme was launched 18/03/2020. CWA provides financial assistance to Group Centres/Institutes for organising wellness education classes/ courses or training wellbeing and to eradicate stress/anxiety level of officers/Jawans and their family members. CWA bears the expenses of wellness & education classes/courses through the scheme "Wellness Education Eco System" only once in a year. To run the scheme a sum of Rs. 1,99,99,990/-(Rupees One Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety) only has been fixed in a nationalized bank as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposit is utilized to run the scheme. The corpus and kept intact would? be component would be used to run the project as per the objectives of this scheme.

जेएसडब्लूयू योजना

जे एस डब्ल्यू कम्पनी देश के विभिन्न केन्द्रों पर एप्टेक कंपनी द्वारा संयोजित सौंदर्य और स्वास्थ्य, मीडिया और मनोरंजन, कंप्यूटर शिक्षा, हार्डवेयर और नेटवर्किंग जैसे रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों में केरिपुबल के शहीद / मृतकों के उत्तराधिकारियों तथा बच्चों को निःशुल्क शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। परियोजना को चलाने के लिए रुपये 4,50,00,000 / — (रुपये चार करोड़ पचास लाख) मात्र राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया गया है और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को योजना चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोष को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इस योजना के उद्देश्यों के अनुसार इसे चलाने के लिए ब्याज राशि का उपयोग किया जाएगा।



5. **JSW PROJECT:-** JSW company gives opportunity to the NOKs and wards of the martyrs/deceased to undertake job oriented courses like Beauty Media and Enterta Wellness. inment, Computer Education, Hardware Networking courses organised bv Aptech Company free of cost at various centres of country for NOK and wards of martyrs/deceased CRPF Personnel. of Rs. the project sum a 4,50,00,000/ (Rupees Four Crore Fifty Lakh) only has been fixed nationalized bank as fixed deposits and interest accrued on the fixed deposits is utilized to run the project. The corpus would be kept intact and interest component would be used to run the project as per the aims & objectives of S FIUJECT.

HALRESERVE POLICE FORCE this Project.

सीआरपीएफ शहीद निधि कावा परियोजना

"सीआरपीएफ शहीद निधि कावा " परियोजना दिनांक 10/06/2019 को शुरू हुई जिसके माध्यम से कावा इस फण्ड के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार सीआरपीएफ के शहीदों एवं मृतकों के परिवारों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करती है। इस फण्ड के उपयोग के लिए लड़ाई/ऑपरेशन में मारे गए सी. आर.पी.एफ. के अधिकारियों/ कार्मिकों को शहीद के रूप में माना जाए तथा शहीदों के अतिरिक्त अन्य सभी सी.आर.पी.एफ. के अधिकारी/कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो उन सभी को मृतक के रूप में माना जाए। यह कावा के अंतर्गत अलग—अलग लक्ष्यों/उद्देश्यों के साथ एक अलग परियोजना है।

निधि का प्रयोग सी.आर.पी.एफ. के शहीद / मृतकों के परिवारों को निधि / सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है :--

क सं	उ द्देश्य
01	शिक्षा
02	स्वास्थ्य
03	कौशल विकास
04	शिक्षा सहायता प्रदान करने की सामग्री जैसे
	कंप्यूटर/लेपटॉप/टेबलेट इत्यादि
05	दिव्यांग बच्चों को सहायता प्रदान करना

CRPF SHAHEED FUND CWA PROJECT: -

"CRPF SHAHEED FUND CWA" project was launched on 10/06/2019, through which CWA provides assistance for welfare of families of CRPF martyrs and deceased as per the aims & objectives of this fund. CRPF officers /personnel who killed in action/operation are treated as martyrs and other than martyrs all CRPF officers /personnel who died during service are treated as deceased for utilizing this fund. This is a separate project under CWA with different aims / objectives.

The fund is used to provide funds/facilities to the families of CRPF martyrs and deceased only. It is utilized for the following purpose: -

SL	Objects
NO.	
01	Education
02	Health
03	Skill Development
04	Providing Education Aid like computers/Laptops/ Tablets etc.
05	Providing Aid to Differently abled children

06	शहीद और मृतक कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को
	अत्यावश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना
07	विविध

उपरोक्त परियोजना को चलाने के लिए रू. 7,00,00,000/—(रुपये सात करोड़) मात्र को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा किया गया है और सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को योजना चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोष को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इस योजना के उद्देश्यों के अनुसार इसे चलाने के लिए ब्याज राशि का उपयोग किया जाएगा

विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम

कावा पूरे वर्ष में न केवल दिल्ली बल्कि प्रत्येक ग्रुप केन्द्र में क्षेत्रीय कावा के सौजन्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कावा / क्षेत्रीय कावा द्वारा विभिन्न दिवसों को मनाना

तिथि	दिन
24 जनवरी	गर्ल-चाईल्ड डे
08 मार्च	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस
७ अप्रैल	अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस
6 मई	वरिष्ठ नागरिक दिवस
5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस
21 जून	योग दिवस
22 जून	कावा स्थापना दिवस
15 अगस्त	सफाई अभियान
सुविधानुसार	परिवार दिवस

06	Assistance to family members of martyrs and deceased on extreme need
07	Miscellaneous

To run the project a sum of Rs. 7,00,00,000 - (Rupees Seven Crore) only has been fixed in a nationalized bank as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposits is utilized to run the project. The corpus would be kept intact and interest component would be used for the welfare of families of CRPF martyrs and deceased as per the aims & objectives of this fund.

Various awareness programmes

CWA organizes various awareness programmes throughout the year not only in Delhi but also in each Group Centre through RCWA.

VARIOUS DAYS OBSERVED BY CWA/RCWA

DATE	DAY
24 th January	Girl Child Day
8 th March	International Women"s Day
7 th April	International Health Day
6 th May	Senior Citizen Day
5 th June	World Environment Day
21 st June	Yoga Day
22 nd June	CWA raising day
15 th August	Cleanliness drive
As per convenience	Family Day

2 अक्टूबर	गॉधी जयन्ती	
14 नवम्बर	बच्चों के खेलकूद और	मौजमस्त
	दिवस	

स्वास्थ्य कार्यक्रम

सी०डब्ल्यू०ए० एवंआर०सी०डब्ल्यू०ए० द्वारा स्वास्थ्य से सम्बंधित जागरूकता

कावा द्वारा संचालित स्वास्थय संबंधी कार्यक्रम

जनवरी	वरिष्ठ नागरिकों के वृद्वावस्था की देखभाल ।
फरवरी	सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर पर विशेष ध्यान सहित कैंसर की रोकथाम
मार्च	टी0बी0 और गुर्दे की बीमारी का रोकथाम और नियंत्रण ।
अप्रैल	महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित स्वास्थ्य दिन ।
मई	महिलाओं को सदैव स्वस्थ रखना ।
जून	योग और शारिरिक फिटनेस के दिवस ।
जुलाई	हेपेटाईटिस और पानी से पैदा हुये अन्य रोगों का
CEAL	रोकथाम और नियन्त्रण ।
अगस्त	स्तनपान को बढावा देने एवं मलेरिया का रोकथाम एवं नियन्त्रण ।
सितम्बर	पोषण, अंधापन नियन्त्रण ।
अक्टूबर	हृदय रोग की रोकथाम और जीवन शैली प्रबंधन।
नवम्बर	मधुमेह की रोकथाम ओर नियन्त्रण ।
दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस ।

2 nd October	Gandhi Jayanti
14 th November	Children's Sports and Fun Day

Health Programmes

CWA &RCWA organise the following health related programmes to spread awareness.

CALENDAR OF HEALTH EVENTS OF CWA

MONTH	DAY
January	Geriatric care of senior citizen
February	Cancer prevention with special focus
	on Cervical & Breast cancer
March	Prevention and control of TB & Kidney
	disease
April	Health day with a focus on Women's
	Health
May	Women's Health (continued)
June	Yoga Day & Physical fitness
July	Prevention and control of Hepatitis and
EN	other Water born disease
August	Promotion of Breast feeding and
14	prevention /control of Malaria
September	Nutrition, Blindness control
October	Prevention of Heart disease and Life
	Style Management
November	Prevention and control of diabetes
December	World AIDS Day

सुविधा वाहन -केरिपुबल के जवान तथा उनके परिवारों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कावा के द्वारा सुविधा वाहन उपलब्ध कराया गया है ।

कं सं0	वाहन का रूप	कार्यालय/श्रेत्रिय कावा
1	फोर्स ट्रेवलर 3700 मिनि डब्लूबी(17+डी)ए.सी. पीएस एचबी (पीबी–08सीएक्स–0270)	वाहन ग्रुप केन्द्र भुवनेश्वर में संलग्न है ।
2.	ट्रेवलर 3700)एच बी पीएस बीएस तीन 3700 (एम एच 46 एजी—0021)	वाहन 102 आर.ए.एफ बटालियन मुम्बई में संलग्न है ।
3.	टोयटा इनोवा जीएक्स (7 एस) (डीएल–1सीएस–7108)	वाहन उत्तरी सेक्टर मुख्या0 / 122 बटालियन नई दिल्ली में संलग्न है ।
4	टोयटा इनोवा केस्टा 2.4 वी पेकेज : एक्स 7एसटीआर डीजल (डीएल—12सीक्यू—9745)	यह वाहन उत्तरी सेक्टर मुख्या0/122 बटालियन नई दिल्ली में संलग्न है ।

चिकित्सा शिविर

सी0डब्ल्यू०ए० और आर0सी0डब्ल्यू०ए० द्वारा अपने परिसर के भीतर शिविर का आयोजन, निःशल्क निकित्या — चिकित्सा शिविर का आयोजन, निःशुल्क चिकित्सा जॉच और चिकित्सा सहायता / मार्गदर्शन नेत्र परीक्षण शिविर, महिलाओं के स्वास्थ्य की जॉच शिविर आदि का आयोजन करती है।

AMENITY VEHICLE

CWA has provided following Vehicles as Amenity vehicles for the welfare of CRPF jawans and their families:-

SL NO.	Nomenclature of vehicle	Office / RCWA
1.	Force Traveller 3700 Mini WB(17+D) AC PS HB (PB- 08CX-0270)	This vehicle is attached with GC BBSR.
2.	Traveller 17+D HB PS BS III in 3700 MM (MH46AG-0021)	This vehicle is attached with 102 RAF Bn, Mumbai
3.	Toyota Innova GX (7S) (DL-1CS-7108)	This vehicle is attached with NS HQ/122 BN New Delhi.
4.	Toyota Innova Crysta 2.4V Package :x7STR Diesel (DL 12CQ 9745)	This vehicle is attached with Adm.Dte.

Medical Camp

CWA and RCWA organize Medical Camp within their premises to give free Medical check up and Medical aid /guidance such as eye test camp, women health check up camp etc.

अध्याय- 11

मृत्यु / विकलांगता पर राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुग्रहराशि का समेकित विवरण

गुरेचुं । वक्टानिया कर राज्या क्षारा या जान वाला जा प्रक्रियाचा कर राजाकरा । वक्टन				
राज्य का	संबंधित राज्यों के कार्रि		कार्रवाई के दौरान	
नाम	राज्यों द्वारा दी जाने व	शहीद हुए उन कार्मिकों		
	एवं जीपीएआईएस		को देय राज्य अनुग्रह	
	यदि शहादत शहीद यदि शहादत		राशि जो उस राज्य के	
	के राज्य में कार्रवाई	शहीद के राज्य	नहीं हैं	
	के दौरान हुई है।	से बाहर		
		कार्रवाई के		
		दौरान हुई है।		
	50 लाख रूपये।	50 लाख रूपये।	50 लाख रूपये।	
	10 लाख रूपये	10 लाख रूपये	10 लाख रूपये स्थायी	
<u> </u>	स्थायी विकलांगता	स्थायी	विकलांगता पर ।	
E	पर ।	विकलांगता पर ।	50,000 हजार रूपये	
<u>जि</u>	50,000 हजार रूपये	50,000 हजार	सामान्य / गंभीर जख्मी	
अरूणाचल प्रदेश	सामान्य / गंभीर	रूपये	होने पर ।	
ਲ	जख्मी होने पर ।	सामान्य / गंभीर		
		जख्मी होने पर		
		1		
असम	50 लाख रूपये मृत्यु	50 लाख रूपये	20 लाख रूपये मृत्यु पर	
CEN	पर	मृत्यु पर ।	O.F.	
	2 लाख रूपये		2 लाख रूपये 50	
	50 प्रतिशत या		प्रतिशत या इससे	
	इससे अधिक की		अधिक की विकलांगता	
	50 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता पर । 25,000 हजार रूपये	BUE OO	पर ।	
	25,000 हजार रूपये	TAF A	25,000 हजार रूपये	
	सामान्य चोट की		सामान्य चोट की दशा	
	दशा में।		में।	

CHAPTER-11

CONSOLIDATED DETAILS REGARDING STATE EX-GRATIA ON DEATH/DISABILITY

NAME OF STATE	STATE EX-GRATIA ADMISSIBLE TO PE BELONGING TO TH	O PERSONNEL GRATIA O THE STATE ADMISSIBLE TO PERSONNEL	
	If Martyrdom in action in State	If Martyrdom in action outside State	MARTYRDOM IN ACTION BUT NOT BELONGING TO THE STATE
Arunachal Pradesh	Rs.50 Lac Rs.10Lac on permanent disability. Rs.50,000/- on grievous/serious injury.	Rs.50 Lac Rs.10 Lac on permanent disability. Rs.50,000/- on grievous/ serious injury	Rs.50 Lac Rs.10 Lac on permanent disability. Rs.50,000/- on grievous/serious injury
Assam	Rs. 50 Lac on death Rs. 2 Lac on 50% and above disability Rs. 25,000/- on non- grievous injury.	Rs. 50 Lac on death	Rs. 50 Lac on death Rs. 2 Lac on 50% and above disability Rs. 25,000/- on nongrievous injury.

आन्ध्र	(क) मृत्यु के मामले	निर्दिष्ट नहीं ।	मृत्यु के मामले में—
प्रदेश	<u>म</u> ें–अनुग्रह राशि	THIQ TOT	अनुग्रह राशि
אינו	_ 3 -		MJ/46 (114)
	1) 30 लाख रूपये		4) 00 -1114 -1111 -111
	उप निरीक्षक के पद		1) 30 लाख रूपये उप
	तक के लिए।		निरीक्षक के पद तक ।
	(147 47 1673 1		
	2) 36 लाख रूपये		2) 36 लाख रूपये
			निरीक्षक एवं इसके
	निरीक्षक एवं इसके		उपर के पद के लिए ।
	उपर के पद के		
	लिए।		
			स्थायी तौर पर अक्षमता
	स्थायी रूप से		के मामले में
	अक्षमता के मामले में		
			12 लाख रूपये।
	12 लाख रूपये ।		गंभीर रूप से जख्मी
	गंभीर रूप से जख्मी		होने के मामले में
	होने के मामले में		grif 47 filter i
			3.60 लाख रूपये।
	3.60 लाख रूपये।		3.60 लाख रूपया
	4) 4		4
10	(ब) बीमा		(ब) बीमा
Ce.	(जी०पी०ए०आई०		(जी०पी०ए०आई०एस०)—
LEN	(जी०पी०ए०आई० एस०)— मृत्यु पर		मृत्यु पर
	74/		FOI
	5 लाख रूपये।		रूपये– 5 लाख रूपये।
	13'E	DIV 201	रूपये— 5 लाख रूपये।
		TVEY	

Andhra	(a) In case of	Not	(a) <u>In case of death</u>
Pradesh	<u>death</u> — <u>Ex-Gratia</u>	specified	– Ex-Gratia
	i) Rs. 30 Lac		
	upto the rank		i) Rs. 30 Lac
	of SI		upto the rank
	ii) Rs. 36 Lac for		of SI
	Insp. and		ii) Rs. 36 Lac for
	above		Insp. and above
	In case of		In case of
	permanent		<u>permanent</u>
	incapacitation		<u>incapacitation</u>
	Rs. 12 Lac		Rs. 12 Lac
	In case of grievous		In case of grievous
	<u>hurt</u>		<u>hurt</u>
	Rs. 3.60 Lac		Rs. 3.60 Lac
	(b) <u>Insurance</u>		(b) <u>Insurance</u>
	(GPAIS)- On		(GPAIS)- On
	death		<u>death</u>
	Rs. 5 Lac		Rs. 5 Lac
0:			
1 CEN			CE
1	RA		CORO
	a Jr		-6
	E.0.		10
	ER	VE 00	
	TRAL RESER	AF A	

राज्य का नाम	संबंधित राज्यों के कार्मिकों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुग्रहराशि एवं जीपीएआईएस		कार्रवाई के दौरान शहीद हुए उन कार्मिकों को देय राज्य अनुग्रह राशि जो उस
	यदि शहादत यदि शहादत शहीद शहीद के राज्य में के राज्य से बाहर कार्रवाई के दौरान हुई है। हुई है।		राज्य के नहीं है
बिहार	अनुग्रह राशि 11 लाख रूपये	अनुग्रह राशि 11 लाख रूपये	अनुग्रह राशि 11 लाख रूपये



NAME	STATE EX -GRA	STATE EX -	
OF	ADMISSII	GRATIA	
STATE	PERSONNEL BELONGING		ADMISSIBLE TO
	TO THE STATE		PERSONNEL
			MARTYRDOM IN
	If martyrdom If		ACTION BUT NOT
	in action in martyrdom		BELONGING TO
	State in action		THE STATE
	outside State		
i) Bihar	Rs.11 Lac Rs.11 Lac		Rs.11 Lac



	अनुग्रहराशि –		अनुग्रहराशि –
	<i>20 लाख</i> रूपये		<i>20 लाख</i> रूपये
	जी०पी०ए०आई०एस		जी०पी०ए०आई०एस
	(1) मृत्यु के मामले		(1) मृत्यु के मामले में
	में उत्तराधिकारी		उत्तराधिकारी को 15
	को १५ लाख		लाख रूपये।
ha	रूपये।		
सम्			
छत्तीसगढ	मृत्यु के मामले में		मृत्यु के मामले में
B	माता-पिता को		माता-पिता को 10
	10 लाख रूपये।		लाख रूपये।
			1
	दोनों हाथ, पैर,		दोनों हाथ, पैर, कान
	कान एवं ऑख की		एवं ऑख की क्षति
	क्षति होने पर 20		होने पर 20 लाख रूपये
	लाख रूपये ।		
	एक हाथ, पैर,		एक हाथ, पैर, कान एवं
	कान एवं ऑख की		ऑंख की क्षति होने पर
	क्षति होने पर 10		10 लाख रूपये
C	लाख रूपये ।		
CEN;	लाख रूपय । एक सप्ताह तक ईलाज के लिए 20		RCE
	एक सप्ताह तक		एक सप्ताह तक ईलाज
	ईलाज के लिए 20	- 10	के लिए 20 हजार
	हजार रूपये।	RVE POLI	रूपये।
		NE	
	एक सप्ताह से		एक सप्ताह से अधिक
	अधिक के ईलाज		के ईलाज के लिए 40
	के लिए ४०		हजार रूपये।
	हजार रूपये।		
	2 - 11 - 1 - 1 - 1		

	Ex-Graita		Ex-Graita - Rs. 20 Lac
	-Rs. 20 Lac		
	GPAIS		GPAIS
	To NOK in		To NOK in death case -
	death case -		Rs. 15 Lac
	Rs. 15 Lac		RS. 15 Lac
	To parents in		To parents in death case - Rs.
	death case -		10 Lac
	Rs. 10 Lac		10 Lac
			Loss of both hands, legs, ears
	Loss of both		and eyes Rs. 20 Lac
	hands, legs,		and cycs Rs. 20 Eac
	ears and eyes.	MAZ	
됩	- Rs. 20 Lac	\\//	
Chhattisgarh			Loss of one hand, Leg, ear and
	Loss of one		eye - Rs. 10 lac
ıha	hand, Leg, ear) 	eye - Rs. 10 lac
Ċ	and eye.		
	- Rs. 10 lac		
			For tweets and make an amount
	For treatment		For treatment upto one week - Rs. 20000/-
	upto one		Rs. 20000/-
C	week.		
CENT	- Rs. 20000/-		ORCE
	74/		
	For treatment more than		For treatment more than a
	more than a week.		week - Rs. 40000/-
	- Rs. 40000/-	KVE (
	165. 10000/		

राज्य का नाम	संबंधित राज्यों के कार्मिकों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुग्रहराशि एवं जीपीएआईएस		कार्रवाई के दौरान शहीद हुए उन कार्मिकों को देय राज्य अनुग्रह राशि जो
	यदि शहादत	यदि शहादत	उस राज्य के नहीं हैं
	शहीद के राज्य	शहीद के राज्य से	
	में कार्रवाई के दौरान हुई है।	बाहर कार्रवाई के दौरान हुई है।	
	कार्रवाई में मृत्यू	कार्रवाई में मृत्यु	कार्रवाई में मृत्यु होने पर
	होने पर रूपये 5	होने पर रूपये 5	रूपये 2 लाख
(यूटी)	लाख	लाख	
वंडीगढ़ (यूटी)			
चंडी	7		
दिल्ली	1 करोड़ रूपये	१ करोड़ रूपये	1 करोड़ रूपये
(यूटी)			
गुजरात	1 लाख रूपये	शून्य	1 लाख रूपये
गोवा	10 लाख रूपये मृ		
	03 लाख रूपये अप	गता पर। य सेवा में मृत्यु होने	
P.	के मामले में।		
CENT	02 लाख रूपये सैन	य सेवा में अपंगता	CE
	के मामले में।		EORUM
	08 लाख रूपये आ	तंकवादी हिंसा या	E
	असामाजिक तत्वों र	द्वारा मृत्यु के मामले	CE FORCE
	 	TVE Y	
	02 लाख रूपय आ असामाजिक तत्वों ह	तकपादा १६सा था राज हिंगा में	
	अपंगता के मामले		
		• •	

NAME OF STATE	STATE EX-GRATIA &GPAIS ADMISSIBLE TO PERSONNEL BELONGING TO THE STATE		STATE EX- GRATIA ADMISSIBLE TO PERSONNEL
	If martyrdom in action in State	If martyrdom in action outside State	MARTYRDOM IN ACTION BUT NOT BELONGING TO THE STATE
Chandigarh (UT)	Rs. 5 Lac – Death in action.	Rs. 5 Lac – Death in action.	Rs. 2 Lac – Death in action.
Delhi (UT)	Rs. 1 Crore	Rs. 1 Crore	Rs. 1 Crore
Gujarat	Rs. 1 Lac	Nil	Rs. 1 Lac
Goa	Rs. 8 Lac in attributable to Rs. 2 Lac in cattributable to Rs. 8 Lac in attributable violence by social element	se of disability case of death military service ase of disability military service case of death to acts of terrorists, anti s etc. case of death to acts of terrorists, anti	CE FORCE

	50 लाख रूपये मृत्यु होने पर (कार्रवाई	50 लाख रूपये मन्य एवं (कार्यवार्ट	50 लाख रूपये मृत्यु पर (कार्रवाई के
	,	मृत्यु पर (कार्रवाई के टीगन)	
	पर पाराग)	47 41811)	पाराग)
हिरियाणा	के दौरान) 50 लाख रूपये मृत्यु पर (आंतरिक सुरक्षा डयूटी , परिचालन डयूटी , चुनाव डयूटी ,प्राकृतिक आपदा एवं बचाव अभियान के दौरान) 35 लाख रूपये (75 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता होने पर)।	के दौरान) 50 लाख रूपये मृत्यु पर (आंतरिक सुरक्षा डयूटी , परिचालन , चुनाव डयूटी, प्राकृतिक आपदा एवं बचाव अभियान के दौरान) 35 लाख रूपये (75 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता होने पर)	दौरान) 50 लाख रूपये मृत्यु पर (आंतरिक सुरक्षा डयूटी , परिचालन , चुनाव डयूटी, प्राकृतिक आपदा एवं बचाव अभियान के दौरान) 35 लाख रूपये (75 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता होने पर) ।
	रूपये— 25 लाख (50 से 74 प्रतिशत की	25 लाख रूपये 50 से (74 प्रतिशत की अशक्तता होने पर)। 15 लाख रूपये (25 से 49 प्रतिशत की अशक्तता पर)।	25 लाख रूपये 50 से (74 प्रतिशत की अशक्तता होने पर)। 15 लाख रूपये (25 से 49 प्रतिशत की अशक्तता पर)।

			,
	Rs. 50 Lac on	Rs. 50 Lac on	Rs. 50 Lac on death
	death (In	death (In action)	(In action)
	action)		
	Rs. 50 Lac on	Rs. 50 Lac on	Rs. 50 Lac on death
	death (during	death (during	(during Internal
	Internal	Internal Security	Security Duty, Ops,
	Security Duty,	Duty, Ops,	Election duty, Natural
	Ops , Election	Election duty,	calamities and rescue
	duty, Natural	Natural	operations etc.)
	calamities and	calamities and	operations etc.)
	rescue		
	operations etc.)	rescue	
	operations etc.)	operations etc.)	
	D 25 I		
	Rs. 35 Lac on	Rs. 35 Lac on	Rs. 35 Lac on 75% &
ac	75% & above	75% & above	above disability
/aı	disability	disability	
Haryana			
H	Rs. 25 Lac on	Rs. 25 Lac on 50	Rs. 25 Lac on 50 to
	50 to 74%	to 74% disability	74%disability
	disability		7 17 oursuomey
	Rs. 15 Lac on	Rs. 15 Lac on 25	D 15 I 25
	25 to 49%	to 49% disability	Rs. 15 Lac on 25
H	disability		to49% disability
Co.			
L'EN!			BCF
	RAI		FOI
	" Pr		CE.
	182		
		RVEPU	CE FORCE
			ı.

राज्य का नाम	संबंधित राज्यों के कारि द्वारा दी जाने वाली अ जीपीएआईएस यदि शहादत शहीद के राज्य में कार्रवाई के दौरान हुई है।		कार्रवाई के दौरान शहीद हुए उन कार्मिकों को देय राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नहीं हैं
हिमाचल प्रदेश	अनुग्रह राशि रू० २० लाख — युद्ध के दौरान मृत्यु रू० 5 लाख — शारीरिक चोट पर अनुग्रह मुआवजा 50 प्रतिशत अशक्तता पर रू० २.5 लाख। 50 प्रतिशत से कम अशक्तता पर रू० एक लाख।	अनुग्रह राशि रू० २० लाख – युद्ध के दौरान मृत्यु रू० ५ लाख – शारीरिक चोट पर अनुग्रह मुआवजा 50 प्रतिशत अशक्तता पर रू० 2.5 लाख। 50 प्रतिशत से कम अशक्तता पर रू० एक लाख।	अनुग्रह राशि रू० २० लाख – युद्ध के दौरान मृत्यु रू० 5 लाख – शारीरिक चोट पर अनुग्रह मुआवजा 50 प्रतिशत अशक्तता पर रू० २.५ लाख। 50 प्रतिशत से कम अशक्तता पर रू० एक लाख।
झारखंड	(अनुग्रह राशि)+ 45	निर्दिष्ट नहीं । VE POLI	10 लाख रूपये (अनुग्रह राशि)+45 लाख का बीमा नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान मारे जाने की स्थिति में ।

NAME OF STATE	STATE EX-GRATIA & GPAIS ADMISSIBLE TO PERSONNEL BELONGING TO THE STATE If martyrdom in If martyrdom		STATE EX- GRATIA ADMISSIBLE TO PERSONNEL
	action in State	in action outside State	MARTYRDOM IN ACTION BUT NOT BELONGING THE STATE
Himachal Pradesh	Ex-Gratia: Rs. 20 Lac On Battle casualty Rs. 05 Lac On Physical casualty Ex-gratia compensation Rs. 2.5 Lac On 50 % disability Rs. 1 Lac Below disability	Ex-Gratia: Rs. 20 Lac On Battle casualty Rs. 05 Lac On Physical casualty Ex-gratia compensation Rs. 2.5 Lac On 50 % disability Rs. 1 Lac Below 50% disability	Ex-Gratia: Rs. 20 Lac On Battle casualty Rs. 05 Lac - On Physical casualty Ex-gratia compensation Rs. 2.5 Lac On 50 % disability Rs. 1 Lac Below 50%
Jharkhand	Rs. 10 Lac (exgratia) + 35 Lac on account of insurance if killed in anti on naxal operation.	Not specified	Rs. 2.5 Lac (Exgratia) + 35 Lac on account of insurance if killed in anti on naxal operation.

जम्मू एवं	5 लाख रूपये	शून्य	5 लाख रूपये
काश्मीर	अनुग्रह राशि		अनुग्रह राशि
	5 लाख रूपये	5् लाख रूपये मृत्यु	5् लाख रूपये मृत्यु
ि	मृत्यु के मामले में	के मामले में	के मामले में
कर्नाटक	1्लाख्रुपये	१ लाख रूपये	1 लाख रूपये
 	चोट / अशक्तता	चोट/अशक्तता होने	चोट/अशक्तता
	होने पर	पर	होने पर
केरल	5 लाख रूपये मृत्यु	10 लाख रूपये (जम्मू	5् लाख ्रूपये मृत्यु
	के मामले में	एवं कश्मीर में कारवाई	के मामले में
	3 लाख रूपये	के दौरान मृत्यु पर)	3 लाख रूपये गंभीर
	गंभीर रूप से	5 लाख रूपये मृत्यु के	रूप से जख्मी होने
	जख्मी होने पर।	मामले में	पर।
		3 लाख रूपये गंभीर	
		रूप से जख्मी होने	
		पर।	0;
मध्य प्रदेश	रु० 10 लाख मृत्यु	रु० 10 लाख मृत्यु या	लागू नहीं।
	या 100 %	१०० % अशक्तता	
	अशक्तता होने पर	होने पर	
13	रु० 5 लाख - 50	रु0 5 लाख – 50	
CEL	% अशक्तता होने	% अशक्तता होने पर	65
CEN	पर	रु० 2.5 लाख – 25	ORCL
	रु0 2.5 लाख -	% अशक्तता होने पर	EFO
	25 % अशक्तता	110	
	होने पर	RVE PO	E FORCE

J & K	Rs. 5 Lac - Exgratia	Nil	Rs. 5 Lac - Exgratia
Karnataka	Rs. 5 Lac in case of death Rs. 1 Lac on injury/disability	Rs. 5 Lac in case of death Rs. 1 Lac on injury/disability.	Rs. 5 Lac in case of death Rs. 1 Lac on injury/disability.
Kerala	Rs. 5 Lac in case of death Rs. 3 Lac to seriously injured	Rs. 10 Lac (On death in action in J&K) Rs. 5 Lac in case of death Rs.3 Lac to seriously injured.	Rs. 5 Lac in case of death Rs. 3 Lac to seriously injured
Madhya Pradesh	Rs. 10 Lac in case of death and 100% disability Rs. 5 Lac on 50% disability Rs. 2.5 Lac on 25% disability	Rs. 10 Lac in case of death and 100% disability Rs. 5 Lac on 50% disability Rs. 2.5 Lac on 25% disability.	N/A FORCE

राज्य	संबंधित राज्यों के का	र्मिकों को उन राज्यों	कार्रवाई के दौरान
का नाम	द्वारा दी जाने वाली 3	ानुग्रहराशि एवं	शहीद हुए उन
	जीपीएआईएस		कार्मिकों को देय
			राज्य अनुग्रह राशि
	यदि शहादत शहीद	यदि शहादत शहीद के	जो उस राज्य के
	के राज्य में कार्रवाई	राज्य से बाहर	नहीं हैं ।
	के दौरान हुई है।	कार्रवाई के दौरान हुई	
		है।	
		सभी मृत कार्मिकों के	सभी मृत कार्मिकों के
	के आश्रितों को रु०		आश्रितों को रु0 1
	१ करोड़ – मृत्यु		करोड़ – मृत्यु होने पर स्थायी रूप से
	होने पर । स्थायी रूप से अक्षम होने	और.इ.) योजना में स दिए जायेंगे।	अक्षम होने पर रू०
} ×	पर रु० २० लाख	145 011941	20 लाख - 01
महाराष्ट्र	- 01 प्रतिशत से		प्रतिशत से 25
#	25 प्रतिशत , 34		प्रतिशत , 34 लाख
	लाख 26 प्रतिशत से		26 प्रतिशत से 50
	50 प्रतिशत एवं 60		प्रतिशत एवं 60 लाख
B	लाख 51 प्रतिशत से		51 प्रतिशत से 100
Co	100 प्रतिशत।		प्रतिशत।
CEN.	रु २० लाख-मृत्यु	रु २० लाख-मृत्यु	रु १ लाख-मृत्यु
मेघालय	होने पर रू० ५ लाख	होने पर रु० ५ लाख	होने पर रु० २०,०००/- घायल/चोटिल होने पर
#	स्थायी रूप से अक्षम होने पर	स्थायी रूप से अक्षम होने पर	વાવલ/વાદલ ફાળ પર
मिजोरम	रु० 5 लाख	रुo 5 लाख	रु0 5 लाख
मणिपुर		अधि सूचित नहीं	
। गाणपुर	रु० 5 लाख – मृत्यु होने पर रु०	আও স্বাপণে শহা	रु० 5 लाख – मृत्यु होने पर रु०
	10,000 / —घायल /		10,000 / —घायल /
	चोटिल होने पर		चोटिल होने पर
	l .		

NAME OF STATE	ADMISSIBLE 7	RATIA & GPAIS TO PERSONNEL TO THE STATE If martyrdom in action outside State	STATE EXGRATIA ADMISSIBLE TO PERSONNEL MARTYRDOM IN ACTION BUT NOT BELONGING TO THE STATE
Meghalaya	Rs. 1 Crore in case of death on Rs. 20 Lac-01% to 25%, Rs. 34 Lac 26%-50% Rs.60 Lac 51%-100% of all permanently disabled personnel Rs. 20 lac in case of death Rs. 5 Lac on permanently disabled personnel Rs. 5 Lac on permanently disabled personnel Rs. 5 Lac	Rs. 3 Lac out of SRE Scheme to NOKs of all expired personnel Rs. 20 lac in case of death Rs. 5 Lac on permanently disabled personnel Rs. 5 Lac	Rs. 10 Lac in case of death on Rs. 20 Lac-01% to 25%, Rs. 34 Lac 26%-50% Rs.60 Lac 51%-100% of all permanently disabled personnel Rs. 1 Lac in case of death Rs. 20,000/- on injury
Manipur	Rs. 5 Lac in case of death Rs. 10,000/- in case of injury	Not notified	Rs-5 Lac in case of death Rs. 10,000/- in case of injury

नागालैण्ड	रु० 1 लाख – मृत्यु होने पर	रु० 1 लाख – मृत्यु होने पर	रु० 1 लाख – मृत्यु होने पर
ओडिशा	रु० 5 लाख – मृत्यु होने पर पेंशन–2000/–प्रति माह दिनांक 01/06/2012 से	रु० 5 लाख— मृत्यु होने पर पेंशन—2000 / —प्रति माह दिनांक 01 / 06 / 2012 से	लागू नहीं
पंजाब (दिवार)	है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि। i. उत्तराधिकारी को रु० 45 लाख	है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि i उत्तराधिकारी को रु० 35 लाख ii प्लाट के बदले में रु० 5 लाख iii. यदि शहीद विवाहित था, तब उसके माता-पिता को अतिरिक्त मदद रु. 10 लाख यदि शहीद अविवाहित है तब उत्तराधिकारी	यदि शहीद विवाहित है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि i उत्तराधिकारी को रु० 35 लाख ii प्लाट के बदले में रु० 5 लाख iii. यदि शहीद विवाहित था, तब उसके माता-पिता को अतिरिक्त मदद रु. 10 लाख यदि शहीद अविवाहित है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि। i. उत्तराधिकारी को रु० 45 लाख ii. प्लाट के बदले में रू 5 लाख

Nagaland	Rs. 1 Lac on death	Rs. 1 Lac on death	Rs. 1 Lac on death
Odisha	Rs. 5 Lac in case of death Pension – 2000/-p.m wef 01/06/2012	Rs. 5 Lac in case of death Pension – 2000/-p.m wef 01/06/2012	Not applicable
Punjab	Amount for NOK of Married	Amount for NOK of Married	Amount for NOK of Married
	i) Ex-gratia to NOK Rs. 35 lac ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac iii) Addl. Relief to parents of married martyrs Rs. 10 lac	Martyrs i) Ex-gratia to NOK Rs. 35 lac ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac iii) Addl. Relief to parents of married martyrs Rs. 10 lac	i) Ex-gratia to NOK Rs. 35 lac ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac iii) Addl. Relief to parents of married martyrs Rs. 10 lac
CENTA	Amount for NOK of Un-		Amount for NOK of Un-
TA LA	Married	Married	Married
	Martyrs i) Ex-gratia to NOK Rs. 45 lac ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac	Martyrs i) Ex-gratia to NOK Rs. 45 lac ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac	Martyrs i) Ex-gratia to NOK Rs. 45 lac ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac

	`	, , ,
		जवान के अशक्तता जवान के अशक्तता
		होने पर होने पर i. 76% से
	i. 76% से 100% तक रू0. 20	
	लाख	रू0. 20 लाख रू0 20 लाख
		i. 51% से 75% i. 51% से 75%
	तक रू०. 10	
		i. 25% से 50% लाख
	ii. 25% से 50%	तक रू०. 5 लाख i. 25% से 50%
	तक रू0. 5	तक रू०. 5
	लाख	लाख
राजस्थान	i) पत्नी के लिए :	i) पत्नी के लिए : अधिसूचित नहीं है।
		25 लाख (जिसमें से
		तत्काल सहायता रू 5
		लाख नकद और 25
	25 बीघा जमीन	
	और	और
	ii) पत्नी के लिए	ii) पत्नी के लिए :
		25 लाख (जिसमें से
		तत्काल सहायता रू 5
	फ ६ त्याम चकट	न्याग्रह नक्तर भीग
Cr.	और एमआईजी	एमआईजी फलैट ।
LEN?	फलैट ।	RGE
	MAL	FO
	TE.O.	, ICY
	\ E	एमआईजी फलैट ।

			Amount for
	<u>Disable</u> d	Disabled soldier	<u>Disable</u> d
	<u>soldier</u> s	i) 76% to 100%-	<u>soldier</u> s
	i) 76% to	20 lac	i) 76% to 100%-
	100%-	ii) 51% to 75%-	20 lac
	20 lac	10 lac	ii) 51% to 75%-
	ii) 51% to	iii) 25% to 50%-	10 lac
	75%-	5 lac	iii) 25% to 50%-
	10 lac		5 lac
	iii) 25% to		
	50%-		
	5 lac		
Rajasthan	i) To wife : 25	i)To wife: 25 (of	Not notified.
	(of which	which immediate	
	immediate	assistance is Five	
	assistance is	lakh Rupees in	
	Five lakh	Cash and 25	
	Rupees in	Bighas of Land)	
	Cash and 25		4
	Bighas of		
	Land)		
	OR	OR	
	ii) To wife:25	ii) To wife: 25 (of	
10:	(of which	which	
1 CEN-	immediate	immediate	FORCE
K	assistance is	assistance is	COK
CENTR	Five lakh	Five lakh	7
	Rupees in	Rupees in Cash	
	Cash and	and MIG Flate	
	MIG Flate	of Housing	
	of Housing	Board	
	Board		

	इ० लाख च नकद जिसमें से तत्काल सहायता इलाख इंग्लंख इंग	श्रा श्रा श्रा श्री तत्काल सहायता 5 लाख के नकद जिसमें से तत्काल सहायता 5 लाख के नकद जिसमें से तत्काल सहायता 5 लाख के लिए : लघु बचत योजना के तहत मासिक आय योजना में रू० 3 लाख की सावधि जमा।	
सिक्किम	रु0 3 लाख	रु0 3 लाख	रु0 3 लाख
	रु020लाख—कार्रवाई में मृत्यु होने पर	रूं0 20 लाख-कार्रवाई में मृत्यु होने पर	रु0 20 लाख–कार्रवाई में मृत्यु होने पर
तमिलनाडु	रू० 15 लाख-पूर्ण अशक्तता / दोहराअंग विच्छेद / पूर्ण अंधता पर रू० 10 लाख – एकल अपंगता / एक आंख से अंधापन पर	रु० 15 लाख-पूर्ण अशक्तता पर/दोहराअंग विच्छेद/पूर्ण अंधता पर रु० 10 लाख — एकल अपंगता/एक आंख से अंधापन पर	रु0 15 लाख—पूर्ण अशक्तता पर / दोहराअंग विच्छेद / पूर्ण अंधता पर रु0 10 लाख — एकल अपंगता / एक आंख से अंधापन पर

	Т		
	OR	OR	
	To wife :50	To wife :50 (of	
	(of which	which	
	immediate	immediate	
	assistance is	assistance is	
	Five lakh	Five lakh	
	Rupees in	Rupees in Cash	
	Cash		
	o morr		7
	iii) To Parent:	iii) To Parent: 3	
	3 Lac	Lac deposited in	
	deposited in	Monthly Income	
	Monthly	Scheme under	
	Income	Small Saving	
	Scheme under	Scheme Saving	
		Scheme	
	Small Saving Scheme		
0:11:		DC 2T	D. 2.I
Sikkim	Rs. 3 Lac	RS. 3 Lac	Rs. 3 Lac
	Rs. 20 Lac -	Rs. 20 Lac -	Rs. 20 Lac -
	Killed in	Killed in action	Killed in action
	action	Rs. 15 Lac -	Rs. 15 Lac -
	Rs. 15 Lac -	Totally disabled /	Totally disabled
2	Totally	double amputee /	/ double
ad	disabled /	totally blind	amputee / totally
/cž	double	Rs. 10 Lac -	blind
amil Nadu	amputee /	Single	Rs. 10 Lac -
Та	totally blind	amputee/one eye	Single
	Rs. 10 Lac -	blind	amputee/one eye
	Single Single	o i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	blind.
	amputee/one	blind VE POLICE	omia.
	i amputee/one		
	eye blind		

राज्य का	संबंधित राज्यों के कारि	निकों को उन राज्यों द्वा	रा कार्रवाई के
नाम	दी जाने वाली अनुग्रहर	दौरान शहीद	
	यदि शहादत शहीद के राज्य में कार्रवाई के दौरान हुई है।	यदि शहादत शहीद राज्य से बाहर कार्रवाई के दौरान्ड् है।	हुए उन के कार्मिकों को देय राज्य
तिलंगाना	अनुग्रह राशि— रु० 45 लाख (उप निरीक्षक स्तर तक) रु० 50 लाख (उप निरीक्षक से ऊपर)बीमा—जी०पी०ए०अ ।ई०एस० रु० 5 लाख —(हबलदार रैंक तक) रु० 10 लाख (उप निरीक्षक से निरीक्षक रेंक तक) रु० 15 लाख —(निरीक्षक से ऊपर) अनुग्रह राशि— रु० 5	अनुग्रह राशि	अनुग्रह राशि— रू० 45 लाख (उप निरीक्षक स्तर तक) रू० 50 लाख (उप निरीक्षक से ऊपर) बीमा—जी०पी०आई०ए०एस रू० 5 लाख — (हवलदार रैंक तक) रू० 10 लाख (उप निरीक्षक से निरीक्षक रैंक तक) रू० 15 लाख —(निरीक्षक से ऊपर) अनुग्रह राशि— रू० 5
	लाख 50% से अधिक अशक्तता होने पर रू 3 लाख रु0 50% से कम अशक्तता होने पर रू. 2 लाख ।	लाख 50% से अधिक अशक्तता होने पर रू. 3 लाख रु0 50% से कम अशक्तता होने पर रू. 2 लाख ।	लाख 50% से अधिक अशक्तता होने पर रू. 3 लाख रु० 50% से कम अशक्तता होने पर रू. 2 लाख ।

NAME OF STATE	STATE EX-GRAADMISSIBLE TO BELONGING TO	STATE EX- GRATIA ADMISSIBLE TO PERSONNEL MARTYRDOM IN ACTION BUT NOT BELONGING TO THE STATE	
Telangana	Ex-Gratia- 45	Ex-Gratia-	Ex-Gratia 45 Lac-up to SI
	Lac (upto-SI Rank)	45 Lac (upto-SI Rank)	Lac-up to SI Rank)
	50 Lac (Above SI	50 Lac (Above	50 Lac (Above
	Rank)	SI Rank)	SI Rank)
	<u>Insurance-</u>		Insurance-
	(GPAIS):		(GPAIS):Rs. 5
	Rs.5 Lac(upto-		Lac(upto-HC
	HC Rank) Rs.10Lac (SI to		Rank) Rs. 10 Lac (SI
	Insp Rank)		to Insp Rank)
	Rs. 15 Lac		Rs. 15 Lac
R	(Above Insp rank)		(Above Insp rank)
Tripura	Ex-Gratia- Rs.	Ex-Gratia- Rs.	Ex- Gratia- Rs.
1/1/1/	5 Lac	5 Lac	5 Lac
	Disability above	Disability above 50% Rs.	Disability above 50%_Rs.
	50%_Rs. 3,00,000/- Lakh	3,00,000/- Lakh	3,00,000/- Lakh
	Disability below	Disability	Disability below
	50%_Rs.	below 50% Rs.	50%_Rs.
	2,00,000/- Lakh	2,00,000/- Lakh	2,00,000/- Lakh

राज्य का नाम	संबंधित राज्यों के कार्मिकों जाने वाली अनुग्रहराशि एवं	कार्रवाई के दौरान शहीद हुए उन कार्मिकों को देय राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नहीं है		
	यदि शहादत शहीद के राज्य में कार्रवाई के	यदि शहादत शहीद के राज्य से	०रा राज्य का नहां ह	
	दौरान हुई है।	बाहर कार्रवाई के दौरान हुई है।		
	(1) अनुग्रह राशि राज्य सरकार की ओर से रु० 50 लाख – कार्रवाई में मारे जाने पर	राज्य सरकार की	(1) अनुग्रह राशि राज्य सरकार की ओर से रु0 50 लाख – कार्रवाई में मारे जाने पर	
	(2)यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता पिता को रू 15 / — लाख	(2)यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता पिता	(2)यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता पिता को रू 15 / – लाख	
ख	(3)यदि शहीद के माता पिता जीवित है तब	को रू 15/—लाख	(3)यदि शहीद के माता पिता जीवित है तब	
उत्तर प्रदेश	शहीद की विधवा को रू 35/— लाख ।	(3)यदि शहीद के माता पिता जीवित है तब शहीद की	शहीद की विधवा को रू 35/— लाख ।	
CE	(4) यदि शहीद अविवाहित है,शहीद के माता–पिता को रू.	विधवा को रू 35/— लाख ।	(4) यदि शहीद अविवाहित है,शहीद के माता—पिता को रू.	
	माता—ापता का फ . 50/— लाख ।	(4) यदि शहीद अविवाहित है,शहीद के माता—पिता को रू. 50 / — लाख ।	50/— लाख ।	

NAME OF STATE	STATE EX-GR. ADMISSIBLE TO BELONGING TO	STATE EX- GRATIA ADMISSIBLE TO PERSONNEL MARTYRDOM	
	If martyrdom in action in State	action in State in action outside State	
Uttar Pradesh	i) Ex-gratia Rs. 50 Lac Killed in action. ii) To parents, if Martyrs married Rs. 15/- lakh and iii) To Widow, if parents of Martyrs is alive Rs. 35/- iv) To parents, if Martyrs unmarried Rs. 50/- lakh	i) Ex-gratia Rs. 50 Lac Killed in action. ii) To parents, if Martyrs married Rs. 15/- lakh and iii) To Widow, if parents of Martyrs is alive Rs. 35/- iv) To parents, if Martyrs un- married Rs. 50/- lakh	i) Ex-gratia Rs. 50 Lac – Killed in action. ii) To parents, if Martyrs married Rs. 15/- lakh and iii) To Widow, if parents of Martyrs is alive Rs. 35/- iv) To parents, if Martyrs unmarried Rs. 50/- lakh

	अनुग्रह राशि– रु०	अनुग्रह राशि– रु0	अनुग्रह राशि– रु0
	10 लाख —	10 लाख	10 लाख —
	(i)(विवाहित मृत कार्मिक के मामले में	(i)विवाहित मृत कार्मिक के मामले में	(i)विवाहित मृत कार्मिक के मामले में
	क्यानक के नानल न	पंगानपं पंग्नानल न	पंगानपं कं नानल न
	(रु० ६ लाख –	(रु० 6 लाख मृतक की पत्नी के लिए एवं	(रु0 6 लाख – मृतक की पत्नी के लिए एवं
	लिए एवं रु० ४	रु० ४ लाख मृतक के	रु० 4 लाख मृतक के
	लाख मृतक के माता-पिता के लिए)	माता-पिता के लिए)	माता—पिता के लिए)
नि	(ii)पत्नी और माता–पिता जीवित	(ii)पत्नी और माता–पिता जीवित	(ii)पत्नी और माता–पिता जीवित
उत्तराखण्ड	नहीं रहने की स्थिति	नहीं रहने की स्थिति	नहीं रहने की स्थिति
ले	में रु० 10 लाख की राशि उनके बच्चों में	में रु0 10 लाख की राशि उनके बच्चों में	में रु0 10 लाख की राशि उनके बच्चों में
	बराबर बाँटी	बराबर बाँटी जाएगी।	बराबर बाँटी जाएगी।
	जाएगी।		
	(iii)अविवाहित मृतक के मामले में – रु०	(iii)अविवाहित मृतक	(iii)मृतक के मामले
Ch	10 लाख – मृतक	के मामले में — रु0 10 लाख मृतक के	में – रु० १० लाख मृतक के माता–पिता
CENT	के माता-पिता के		
	RES	10	
	I S'ER	FIGH-INGI & IMY	

	Ex-gratia - Rs.	Ex-gratia - Rs.	Ex-gratia - Rs.
	10 Lac	10 Lac	10 Lac
	10 240	10 240	10 Lac
	(i) In case of	(i) In case	(i)In case of
	married deceased	of married	married
	person:	deceased	deceased person :
	person.	person:	deceased person.
	(Rs. 6 Lac to	(Rs. 6 Lac to	(Rs. 6 Lac to
		deceased wife	deceased wife
	&Rs. 4 Lac to	&Rs. 4	&Rs. 4 Lac to
	deceased deceased	Lac to	deceased
	mother/father)	deceased	mother/father)
	mother/father)	mother/father)	mother/lather)
		mother, rather)	
	CIV T	(ii) In case	(ii) In case the
	(ii) In case	of wife and	wife and
70	the wife and		mother/father are
ano	mother/father are not alive then Rs.		not alive then Rs.
Uttarakhand	10 Lac will be		10 Lac will be
ara	distributed		distributed
#C	between all wards		between all wards
	of the deceased.		of the deceased.
	of the deceased.	deceased.	
			5 0
	(iii) In case of	(iii) In case of	(iii)In case of
/ CEA	unmarried	unmarried	unmarried
	deceased person—	deceased	deceased person –
	Rs. 10 Lac to the	Rs. 10 Lac to	Rs. 10 Lac to the
	mother/father of	the	mother/ father of
	the deceased.	mother/father	the deceased.
	and added south	of the deceased.	

राज्य का नाम	संबंधित राज्यों के कार्ति द्वारा दी जाने वाली अ जीपीएआईएस यदि शहादत शहीद के राज्य में कार्रवाई के दौरान हुई है।	कार्रवाई के दौरान शहीद हुए उन कार्मिकों को देय राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नहीं है	
पश्चिम बंगाल (वामपंथी गतिविधियों के दौरान सरकारी कर्त्तव्य का निर्वहन करते समय नक्सल प्रभावित जिलों में वीरगति प्राप्त करने पर-बांकुड़ा / पुरुलिया / पश्चिम मिदनापुर	i) अनुग्रह राशि — रु० 2 लाख i) रु० 3 लाख अनुग्रह राशि स०स०ख० (एसआरई) योजना के तहत (केवल नक्सल/ माओवादी प्रभावित जिलों के लिए) iii) एस०आर०ई० योजना के तहत जी०पी०ए०आई०एस ० — रू० 10 लाख मृत्यु होने पर और रू० 5 लाख चोट/घायल होने पर (केवल माओवादी प्रभावित जिलों के लिए)	i) अनुग्रह राशि – रु० 2 लाख ii) राज्य में देय अन्य कोई मुआवजा जो कि घटना के घटित होने के स्थान पर निर्भर करता है।	i) रु० 3 लाख की अनुग्रह राशि (एसआरई) योजना के तहत (केवल नक्सल / माओवादी प्रभावित जिलों के लिए) ii) एस.आर.ई. योजना के तहत जी०पी०ए०आई०एस० — रु० 10 लाख मृत्यु होने पर और रु० 5 लाख चोट / घायल होने पर (केवल माओवादी प्रभावित जिलों के लिए)

NAME OF STATE	STATE EX-GRAADMISSIBLE TO BELONGING TO If martyrdom in action in State	STATE EXGRATIA ADMISSIBLE TO PERSONNEL MARTYRDO M IN ACTION BUT NOT BELONGING TO THE	
	i) Ex-gratia -Rs.		i) Ex-gratia
Bengal (if killed in course of anti-left wing operations while discharging govt. duties in naxal affected districts Bankura/ Purulia/ Paschim Midnapur)	2 Lac	Rs.2 Lac ii)Any other compensation as admissible in the State depending upon place of occurrence of the incident	under SRE Scheme - 3 Lac (for LWE affected districts only) ii) GPAIS under SRE - 10 Lac on death and Rs . 5 Lac on injury (for LWE affected districts only)

<u>अध्याय—12</u> विविध

- वीरता के लिए पुलिस पदक / वीरता के लिए राष्ट्रपित का पुलिस पदक एवं मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली उनकी विधवाओं कोतथा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपित के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता को मिलनेवाली सुविधाएँ
 - i. राष्ट्रपति के पुलिस पदक वीरता के लिए पदक भत्ता—रु0 6000/—दिनॉक—14/06/2018 से और वीरता के लिए पुलिस पदक हेतु रु0 2000/—
 - ii. वीरता पदक प्राप्तकर्ता एवं मरणोंपरांत वीरता पदक प्राप्त करने वाली उनकी विधवाओं को उनके एक साथी के साथ प्रथम श्रेणी / द्वितीय वातानुकूलित शयनयान में मानार्थ (कंपलीमेंटरी) कार्ड पास ।
 - iii. नगर निगम नई दिल्ली के दिनांक 14/2/2000 को आयोजित विशेष बैठक में पारित अपने संकल्प सं. 471 के द्वारा कुछ निश्चित शर्तों के साथ वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्तकर्ता को उसकी स्वयं की संपत्ति हेतु गृहकर में छूट प्रदान की है।
 - iv. वित मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1048 (ई) दिनांक 24/11/2000 के तहत पुलिस वीरता पदक प्राप्तकर्ता को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 की उप धारा (18) के तहत आयकर से मुक्त रखा गया है।
 - v. इंडियन एयर लाइंस की किफायती श्रेणी में हवाई यात्रा करने पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

CHAPTER-12

MISCELLANEOUS

- 1. FACILITIES TO PMG / PPMGRECIPIENTS AND TO THE WIDOWSOF POSTHUMOUS GALLANTRY AWARD WINNERS AND PRESIDENT'S POLICE MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICE
 - i. Medal Allowance Rs. 6000/- for PPMG w.e.f. 14/06/2018&Rs. 2000/- for PMG.
 - ii. Ist Class/IInd AC Sleeper Complimentary Card Passes to recipients of Gallantry Award and to the widows of posthumous Gallantry Award winners along with a companion.
 - iii. Municipal Corporation of Delhi vide their resolution No.471 passed in adjourned special meeting held on 14/02/2000 has exempted Police Gallantry Medal Awardees from payment of House Tax in respect of self occupied property subject to certain conditions.
- iv. Ministry of Finance vide their notification No.SO.1048 (E) dated 24/11/2000 exempted income Tax to the recipients of Gallantry Medals under sub clause (18) of Section 16 of Income Tax Act, 1961.
 - v. 50% discount in Air journeys on Indian Air lines in economy class.

- vi. पदक प्राप्तकर्ता को रियायती टेलीफोन सुविधा (भा०सं०नि०लि०) निवास स्थान पर लगने वाले टेलीफोन परनिम्नलिखित रियायतों के साथ दी जाएगी।
 - (a) विशेष श्रेणी –एन–ओ.वाई.टी. के तहत पंजीयन ।
 - (b) कोई पंजीयन शुल्क नहीं।
 - (c) कोई संस्थापन शुल्क नहीं।
 - (d) कोई किराया प्रभारित नहीं।
- vii. ऐसे पुलिस कार्मिक जो 60 या इससे अधिक की उम्र के हैं तथा जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुआ है, उनमें पुरूषों के लिए रेल टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट तथा महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत की छूट क्रमशः 15/08/2009 एवं 01/09/2009 से प्रदान की गई है। यह छूट राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी ट्रेनों सहित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी श्रेणियों के मूल किराए पर देय होगी। यह छूट गरीबरथ ट्रेनों में देय नहीं है।
- 2. मेडिकल एवं दंत चिकित्सक कोर्स के लिए आरक्षण

एम0बी0बी0एस0 कोर्स के लिए 23 सीटें एवं बी0डी0एस0 कोर्स के लिए 3 सीटें प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के बच्चों के लिए योग्यता के आधार पर आरक्षित रखी गई हैं।

- vi. Concessional Telephone facilities (BSNL) to awardees. The following concession in residential telephone to these recipients will be available:-
 - (a) Registration under N-OYT-Special
 - © Category.
 - (b) No registration fee
 - (c) No installation fee
 - (d) No rental charges.
- The police personnel of 60 years and above vii. who are recipients of President's Police Medal for Distinguished Service and Police Medal for Meritorious Service are entitled for 50% concession in Rail fare for Men and 60% concession for Women on the tickets purchased after 15.08.2009 01.09.2009 on or & respectively. This concession is admissible in basic fare of Mail/Express train of all classes and in the all inclusive fares of Rajdhani / Shatabdi/ Jan-Shatabdi trains. The concession will not be admissible in GaribRath Trains.

2. RESERVATION FOR MBBS AND BDS COURSES

Reservation of 23 seats for MBBS course and 03 seats for BDS course are available every year for wards of CPMF personnel on merit.

3. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु रेल कोचों को चिन्हित करना । केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चार रेलगाडियों में ए.सी—3 टायर कोचों के लगाने और जारी रखने का अनुमोदन गृह मंत्रालय ने दिया है :-

क्रम सं	रो न न	ट्रेन का नाम	कहां से	कहां तक	क्रेच लगाने की तिथि	कोच की संख्या	बर्ध	प्रमुख स्टेशन
	15909 / 15910	अवधं असाम एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (दोनो ओर)	खब्रू गढ वाया मुवाहारी	लालगढ़ (बीकानेर)	17,03,2018		6 4	डिब्रुगढ, गुवाहाटी, ,एन.सी.बी, एन.जे.पी, कटिहार, बरौनी, मुजफ्फरपुर छपरा, सिवान, गोरखपुर, लखनऊ, हापुड़, पुरानी दिल्ली, जींद, भटिंडा, सूरतगढ, बीकानेर

3. EARMARKING OF COACHES FOR THE CAPFS PERSONNEL

MHA has conveyed the approval for extension /attachment of AC-III tier extra coaches in following four trains for the personnel of CAPFs:-

S. No	Train No.	Name of train	From	То	Date of attach ment of coach	No of coach		Major Stations
1.	01651/60651	Awadh Assam Exp. (Daily) (vice - versa)	Dibrugarh	Lalgarh (Bikaner)	8102/20/21		64 FO	Dibrugarh, Guwahati, NCB,NJP,K atihar, Barauni, Muzaffarpur, Chhapra, Siwani, Gorakhpur, Lucknow, Hapur, Old Delhi, Jind, Bhatinda, Suratgarh, Bikaner.

2	13151 / 13152	कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) (दोनो ओर)	कोलकाता	जम्मूतवी	25.01.2018	1	64	कोलकाता,आसन सोल, धनबाद, गया, मुगलसराय, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, रूड़की, सहारनपुर, अंबाला, जालंधर चक्की बैंक, जम्मूतवी
3	16031 / 16032	अंडमान एक्सप्रेस (मंगल, शुक्र, शिन) (दोनो ओर)	किट्स जम्मू तवी	SHIP RV	8103.501.0		64 64	जम्मू, जालंधर, नरवाना, रोहतक, बहादुरगढ़, नई दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इटारसी, विजयवाडा, नैल्लूर, चैन्नई

2.	13151/13152	Kolkata -Jammu Tawi Exp. (Daily) (vice - versa)	Kolkata	Jammu Tawi	25/01/2018	1	64	Kolkata, Asansol, Dhanbad, Gaya, Mughal Sarai, Banaras, Faizabad, Lucknow, Bareilly, Moradabad, Roorkee, Saharanpur, Ambala, Jalandhar, Chakki Bank, Jammu
3.	75091 /16091	Andam an Exp. (Tue, Fri, Sat.) (vice - versa)	Katra, Jammu Tawi	Chennai Chennai	8102/20/10		64	Jammu, Jalandhar, Narwana, Rohtak, Bahadurgarh, New Delhi, Agra, Gwalior, Jhansi, Bhopal, Itarsi, Vijaywada, Nellore, Chennai

4	16688	नवयुग	जम्मू तवी	मंगलोर	018	1	64	जम्मु, जालंधर,
		एक्सप्रेस	Æ	뒼.	05.03.2018			नरवाना,
	/ 2:	(बृहस्पति)	ব		05.0			रोहतक,
	/ 16687 /	(दोनो ओर)						बहादुरगढ़,नई
		onty						दिल्ली, आगरा,
								ग्वालियर
						N.		झांसी,भोपाल,
								इटारसी,
								विजयवाडा,
								नैल्लूर, मैंगलोर

4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु एयर कोरियर की सुविधा

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बिभिन्न सेक्टरों में एयर कोरियर की सुविधा उपलब्ध है। हवाई अड्डों से समन्वय के लिए निम्नलिखित नोडल एजेंसी हैं:–

	क्रम	रूट	दौरे	स्थान	नोडल	नोडल	संपर्क न
	सं				एजेंसी	अधिकारी	
	1	कोलकाता–	2 दिन	कोलकाता	बी.एस.एफ	श्री श्यामबीर	8840552386
		अगरतला–	(शुक्र एवं रवि)			सिंह, सहा	
H	3	कोलकाता	रवि)			कमा,	
/				\mathcal{A}		(प्रशा.)	
	~ E/	V					RCE
		VTRAL				60	
		14	PA		A		
			1632	अगरतला	बी.एस.एफ	श्री विरेन्द्र	9711394659
			12	RVE 1	20,	प्रताप सिंह	
						उप कमाण्डेंट	
						4)41°6C	
- 1							

	4.	16687/ 16688	Navyug Exp. (Thu) (vice - versa)	Jammu Tawi	Mangalore	05/03/2018	1	64	Jammu, Jalandhar, Narwana, Rohtak, Bahadurgarh, New Delhi,Agra, Gwalior, Jhansi, Bhopal, Itarsi, Vijaywada, Nellore, Mangolore.
--	----	--------------	--	------------	-----------	------------	---	----	---

4. AIR COURIER SERVICE FOR THE CAPFS PERSONNEL

The air courier services for CAPFs is functional in different sectors. Nodal Agency for co-ordinating with Airports are as under:-

SL No	Route	Frequ ency	Loca tion	Nodal Agency	Nodal Officer	Contact No.
C	Kolkata- Agartala- Kolkata	02 days (Fri & Sun)	Kolkata	BSF	Sh Shyambir Singh, AC(Adm)	8840552386
			Agartala	BSF	Sh Virender Pratap Singh, DC	9711394659

2	कोलकाता— सिलचर— कोलकाता	01 दिन (रवि)	सिलचर	बी एस एफ	श्री बृजेश कुमार सिंह, उप कमाण्डेंट	7587369506
3	कोलकाता— इंफाल— कोलकाता	02 दिन (सोम, शनि)	इंफाल	ए. आर	श्री राकेश कुमार, उप कमाडेंट	7630882266
4	कोलकाता— आईजोल— कोलकाता	1 दिन (रवि)	आईजोल	ए. आर	श्री बाबू लाल किश्कु, उप कमाडेंट	9064410206
5	दिल्ली—लेह —दिल्ली	2 (बुध, शनि)	दिल्ली	आई.टी.बी. पी	श्री अमरपाल सिंह, उप.कमा, उ.नि अशोक कुमार	9013962799
O CE			लेह	आई.टी.बी. पी	श्री राहुल कुमार, सहायक कमाण्डेंट, हवलदार आनन्द यादव	7409505375 7051140926
6.	दिल्ली –जम्मू– श्रीनगर–	7दिन (रवि, सोम, मगल,	दिल्ली	बी.एस.एफ	श्री शीतल चौधरी सहा.कमा.	9953007976
	जम्मू— दिल्ली	मगल, बुध, बृहस्पति, शुक और शनि)	जम्	के.िर.पु. बल	श्री नीरज कुमार उप.कमा संउनि/ जीडी एम. एस. खाण्डे	9596349999 6005050984

2.	Kolkata Silchar- Kolkata	01 Day (Sun)	Silch	BSF	Sh. Brejesh Kumar DC	7587369506
3.	Kolkata- Imphal- Kolkata	02 days (Mon, Sat)	Imphal	AR	Sh. Rakesh Kumar, DC	7630882266
4.	Kolkata- Aizwal- Kolkata	01 day (Sun)	Aizwal	AR	Sh Babu Lal Kishku, DC	9064410206
5.	Delhi- Leh- Delhi	02 days (Wed & Sat)	Delhi	ITBP	Sh. Amar Pal Singh, DC SI Ashok Kumar	9013962799 6005717014
			Leh	ITBP	Sh. Rahul Kumar, AC HAV - Anand Yadav	7409505375 7051140926
6.	Delhi- Srinagar - Delhi	07 days (Sun, Mon,	Delhi	BSF	Sh Seetal Choudharyh, AC	9953007976
C	NTRAL	Tue, Wed, Thu, Fri & Sat) Flight of Thursd	Srina gar	BSF	Sh Neeraj Kumar, DC ASI/GD M.S.Khandey	9596349999 6005050984
		ay yet to start				

7	श्रीनगर– जम्मू– श्रीनगर–	4 दिन (रवि, मगल, बृहस्पति,	जम्मू	केरिपुबल	श्री ए वी चौहान, महानिरीक्षक श्री दीपक	0191. 2597702 9419217340
		शुक और शनि)			चोध्री, सहा कमा 166 बटा श्री ए.के.झा.	9419217336
_	0 0	- A	4	A	कमाण्डेंट	
8	दिल्ली– डिब्रुगढ– गुवाहाटी– दिल्ली	2 दिन (बुध,शनि)	दिल्ली	बी.एस.एफ	श्री शीतल चौधरी सहा.कमा.	9953007976
			डिब्रूगढ़	आई.टी.बी. पी	श्री जितेन्द्र सिंह, उप कमाण्डेंट	9458301235
			मुवाहाटी	बी.एस.एफ	श्री अनील कुमार सहायक कमाण्डेंट	8168684754

5 आश्रित पहचान पत्र

केरिपुबल ने बल के कार्मिकों के उन आश्रितों / बच्चों को आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने लिए अभियान चलाया है जो बल के कार्मिकों के तैनाती स्थल से अन्यत्र निवास कर रहे हैं। यह कार्ड बल के कार्मिकों के आश्रितों को आवश्यकता के समय केरिपुबल से चिकित्सा, शिक्षा, कैंटीन सुविधाएं आदि प्राप्त करने में सहायक होगा। यह कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा। कार्ड को बनाने में होने वाले खर्च का बहन केंद्रीय कल्याणनिधि से किया जाएगा।

7.	Srinagar -Jammu- Srinagar	04 days (Sun, Tue, Thu, Sat & Sun)	Jam mu	CRPF	Sh A.V. Chouhan, IG Sh Deepak Chaudhary, AC 166 Bn Sh A.K. Jha, CO	0191- 2597702 9419217340 9419217336
8.	Delhi- Dibrugarh - Guwahati- Delhi	days (Wed & Sat)	Delhi	BSF	Sh.Sheetal Chaudhary, AC	9458301235
			Dibrugarh	TTBP	Sh Jitender Singh , DC	9458301235
			Guwahati	BSF	Sh. Anil Kumar, AC	8168684754

DEPENDENT IDENTITY CARD

CRPF has now launched a programme to dependent identity cards to 1 dependent identity cards to dependent family members who live in places other than the place where members of the Force is employed. This card will facilitate to family members of force personnel to get treatment, education, canteen facilities etc. from CRPF. This card will be issued free of cost and the cost of the cards will be borne by CWF.

6. देश की सेवा हेतु प्राण न्यौछावर करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल / केंद्रीय पुलिस बल के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को परिचालनिक "कैंज्युलिटी प्रमाण पत्र" जारी करने बावत

गृह मंत्रालय के दिनांक 09.10.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 27011/68/2015—आर एवं डब्ल्यू के तहत देश की सेवा हेतु प्राण न्यौछावर करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/ केंद्रीय पुलिस बलों के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को 'परिचालिक कैज्युलिटी प्रमाण पत्र' जारी करने बावत अनुमोदन प्रदान किया गया है। परिचालिक कैज्युलिटी प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

- (क) संबंधित बल की ईकाई के द्वारा अदालती जाँच की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत, बोर्ड प्रोसिडिंग्स को फ्रांटियर मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा जोकि ऐसी मृत्यु को 'परिचालिनक कैज्युलिटी' के रूप में घोषित किए जाने हेत् महानिदेशक महोदय के अनुमोदन के लिए भेजेंगे।
- (ख) महानिदेशक महोदय के अनुमोदन के उपरांत, संबंधित मुख्यालय निर्धारित प्रोफार्मा मेंवांछित विवरण आवश्यकदस्तावेजों के साथ अग्रेषित करेंगें। महानिदेशक महोदय ''परिचालनिक केंज्युलिटी प्रमाण पत्र'' के निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।



6. <u>ISSUANCE OF OPERATIONAL CASUALTY</u>
<u>CERTIFICATE TO THE NEXT OF KINS OF CAPFs / CPOS PERSONNEL WHO SACRIFICED THEIR</u>
LIVES FOR THE NATION:

MHA vide Office Memorandum ID No.27011/68/2015-R&Wdated 09/10/2017, has conveyed the approval for issue of "Operational Casualty Certificate' to the NOKs of CAPFs/CPOs personnel who sacrificed their lives for the Nation. The following procedure will be adopted to prepare the "Operational Casualty Certificate":

- (a) After finalization of COI by the concerned field formation, proceeding will be submitted to the FHQ for obtaining approval of DG for declaring such death as "Operational Casualty".
- (b) Once the approval of DG is received, headquarter concerned will forward the particulars as per prescribed format alongwith connected document. DG will sign the "Operational Casualty Certificate" as per specimen.



अध्याय–13

बल के जवानों एवं दिवंगत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों द्वारा आर्थिक योजना बनाना

बल का प्रत्येक सेवारत कार्मिक केंद्र / राज्य सरकार / बैंक / पोस्ट आफिस / बीमा कंपनियों के द्वारा सुलभ करवाए जा रहे स्कीमों के बारे में भली—भांति अवगत हों एवं अपनी आय को उन स्कीमों में सुनियोजित ढंग से अपने उज्ज्वल भविष्य हेतु निवेश करें। ग्रुप केंद्रों / यूनिट के कल्याण अधिकारियों को पहले ही निवेशित किया जा चुका है कि वे केंद्र / राज्य सरकार / बैंक / पोस्ट आफिस / बीमा कंपनियों के द्वारा सुलभ करवाए जा रहे स्कीमों के बारे में भली—भांति अवगत हों तथा वे कार्मिकों को सुनियोजित ढंग से अपनी वित्तीय स्थिति की योजनाएं बनाने हेतु परामर्श दें। यद्यपि कार्मिकों द्वारा सुनियोजित ढंग से अपनी वित्तीय स्थिति की योजनाएं बनाने हेतु कुछ मार्गदर्शी बिंदुओं को नीचे दिया जा रहा है:—

- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय/वेतन के आधार पर अपना बजट बनाना चाहिए जो कि उसे अपने आय/वेतन से कम खर्च करने के लिए सहायक होगा। एक बार बजट बन जाने के बाद हमारी आय और व्यय की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इससे हमारा एक-एक पैसा कहां खर्च हो रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है।
 यदि व्यक्ति अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति पाना चाहता हैतो, वह अपने
 - 2. यदि व्यक्ति अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति पाना चाहता हैतो, वह अपने वित्तीय विषयों हेतु अलग से एक फाईल / फोल्डर खोल ले जिसमें लेखा एवं करों से संबंधित सभी विषयों के दस्तावेज सहेजकर रख सके।

CHAPTER-13

FINANCIAL PLANNING BY JAWANS/NOKs OF DECEASED PERSONNEL

Every serving personnel should be aware about various investment schemes introduced by Central/State Governments/Banks/Post Office/ Insurance Companies etc and they may invest the earnings in various schemes in proper manner to secure their future. Welfare Officers of Group Centres/Units have already been directed to update themselves about various investment schemes introduced by Central/State Governments/Banks/Post Offices/Insurance Companies etc., and they should advise personnel for proper financial planning. However following few guidelines are issued for financial planning by personnel:

- 1. It is very essential to draw up a budget based on income/salary of person and budget will help to spend less than salary. Once the budget is ready, we will have on hand a ready reckoner which will give us a detailed record of income and expenditure. We will have complete picture of where every paisa has gone.
 - 2. Every personnel should maintain a separate file or folder for all financial matters like accounts and taxes, if they want to enjoy sound financial health.

- 3. व्यक्ति की कितनी भी आय हो, उस आय में से प्रतिमाह अनिवार्य रूप से थोड़ी बचत करें क्योंकि कहा गया है कि 'बूंद बूंद से ही सागर बनता है'।
- 4. अपना वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से बनाएं। यदिहम अपना घर बनाने, अवकाश में कहीं पर घूमने जाने या अपनी स्वयं की गाड़ी खरीदने के लिए बचत करना चाहते हैं तो इन सब के लिए आपके केरियर की शुरूआत ही अति उत्तम समय है।
- 5. क्रेडिट कार्ड एवं अन्य देनदारियों से बचें। ध्यान रहे कि ऋणों पर ब्याज की दरें काफी ज्यादा होती हैं और यदि आप सतर्क नहीं हों तो काफी बड़ी रकम देनी पड़ सकती है। देनदारियों को अतिशीघ्र चुकता करें और उन्हें बढ़नें न दें। क्रेडिट कार्डों के विषयों में सजग रहना होगा क्योंकि वे प्रारंभ में तो खर्च करने के लिए लुभाते हैं परंतु बाद में हमारी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकते हैं।
- 6. सुनियोजित बजट योजना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम लोग सामान्यतः किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे क्रय कर लेते हैं, वस्तुतः हमें उसकी कदापि आवश्यकता ही नहीं होती है। इस प्रकार के खर्चों से अपने आप को बचाए रखें।
- 7. कहीं पर हस्ताक्षर करने के पूर्व सजग रहे। किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के पूर्व उसे भली—भांति से पढ लें, चाहे वह कोई एग्रीमेंट या कांट्रेक्ट ही क्यों न हो। हमें यह मालूम नहीं होता कि मध्य की लाईनों में क्या लिखा हुआ है। यदि हमने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया तो हम बड़ी कठिनाई में पड़ सकते हैं।
- 8. कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसकी लत लग जाए, जोकि हमें बाद में बर्बाद कर दें । यहां पर जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, धूम्रपान के बारे में सचेत किया जा रहा है, जोकि स्वास्थ्य के साथ साथ आपके धन को भी नष्ट कर देगा ।

- 3. Whatever income of a personnel, just set by a little amount every month as compulsory savings. "Little drops of water make the mighty ocean".
- 4. Set clear financial goals. If we want to save enough to buy a home, afford at least one holiday or buy own vehicle, the beginning of career is best starting point.
- 5. Beware of credit card and other debts. Remember that interest rates on loans are exorbitant and we will end up paying huge amounts if we are not careful. Pay up debts and never let them accumulate. We have to be especially careful about credit cards which will tempt to spend and lead to definite disaster.
- 6. There is one sphere that we have to be really wary about as it can send all our careful budgeting for a big toss. We are talking here of impulse spending where we end up buying something that attracted that moment but was not what we really needed.
- 7. Always be careful about what we put our signature to. Read everything fully before sign, be it an agreement or contract. We never know what lies between the lines. Ignore this and we will be in trouble.
- 8. Try to avoid doing things that might become addictive and which may lead to ruin. We are talking here of gambling, addiction to drugs or smoking all of which are highly dangerous and a drain on our finances.

- 9. अपने पैसे को बिना किसी उपयोग के ऐसे ही न रहने दें जबिक इसको कुशलता से उपयोग करके इसे कई गुणा अधिक बढ़ाया जा सकता है। एजेंटों से बात करें और अच्छे निवेश पर कार्य करें जोिक अधिक आय आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान कर सकें। इस प्रकार से हमारा धन ही हमारे लिए और अधिक धन अर्जन का काम करेगा और वो मात्र बचत खाते में ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा।
- 10. किसी भी अनजानें एजेंटों के झांसे में न आए और न ही उनके वादों में फंसे कि आपकी राशि बहुत ही कम समय में दुगनी हो जाएगी। ऐसे छलावा देने वाले आर्थिक निवेश में वे तो अपना मोटा कमीशन ले लेंगे जबकि आपकी गाढे खून—पसीने की कमाई डूब जाएगी।
- 11. उचित एवं गहरी छानबीन तथा जानकारी के बिना कहीं सीधे निवेश न करें। यदि आप निवेश करना चाहते हो तो बाजार की स्थिति समझकर,आश्वरत होने पर ही अगला कदम उठाएं।
- 12. अंदाजा लगाकर उसके आधार पर निवेश करने का जुआ खेलने की प्रवृत्ति से बचें। जब कभी हम यह सुनते हैं या पता लगताहै कि कहीं पर निवेश पर अच्छे रिटर्न की संभावना है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा झुकाव उधर हो जाता है परंतु याद रखें कि यदि वह बाद मैं खराब होता है तो हमारा निवेश डूब जाता है।
- 13. जब हम बाजार को पढ़ने की परख रखते हैं तो अपनी सामान्य बुद्धि एवं अनुभव का प्रयोग करते हुए ठोस संस्थाओं में जिनका मूल्य ऊपर उठान पर हो, उनमें ही निवेश करें। कुछ फर्मों में असामान्य उछाल रहता है लेकिन हमेशा याद रखें कि बाजार में सुधार भी आता है और जो असामान्य उछाल होती है वह अपने आप नीचे आ जाती है। अतएव अपने निवेश को विभिन्न माध्यमों में सही समय पर करें ताकि कभी भी पछतावा न करना पड़े।

- 9. Never let your money sit idle when it can multiply and earn more. Discuss with agents and work out the investment model which suits to personnel best. This way our money will be active and not sit wasted in some basic savings account.
- 10. Never trust an unknown agent who might call and make tall promises about doubling money in record time. While they might end up with fat commissions for investing our money in dud financial instruments, we will end up with nothing.
- 11. Never jump into something without doing proper and thorough home work. Study the market well if you want to enter it.
- 12. Try to avoid speculation and gambling. Whenever we receive or hear of super hot tips, we might be tempted to speculate, but it would do good to remember that when that stock crashes, all our money goes with it
- 13. Once we are adept at studying market trends, use our common sense to identify solid instruments whose prices keep climbing. Some instruments might have a phenomenal climb, but always remember that the market corrects itself and what goes unnaturally high must also come down. Learn to divest of the instruments at the right moment and have no regrets.

- 14. यदि कोई शंका हो, तो हमेशा विशेषज्ञों से राय लें।
- 15. वित्तीय लेनदेन के बारे में जागरूक रहें और यह जानकारी में रखें कि इनके लेनदेन में कितनी फीस आदिदी जा रही है। इससे हमें खर्चीले निर्णय लेने से बचाव होगा जोकि हमारी आर्थिक स्थिति को शिथिल होने से बचाएगा।

इसके अतिरिक्त ग्रुप केंद्र / यूनिटों के कल्याण अधिकारी, बल के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों / परिजनों को सलाह दें कि वे अपने प्राप्त धन का विभिन्न स्कीमों में उनकी अपनी जवाबदारियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए निवेश करें ताकि उसमें कोई कमी न हो और उनके भविष्य के साथ ही धन में वृद्धि भी हो और वह सुरक्षित भी रहे।

ग्रुप केंद्रों / यूनिटों के कल्याण अधिकारी, केंद्र / राज्य सरकार / बैंक / पोस्ट आफिस / बीमा कंपनियों के द्वारा सुलभ करवाई जा रही स्कीमों के बारे में भली—भांति अवगत रहें और सुलभ चार्ट बनाकर रखें तािक वे इससे सेवारत कार्मिकों के साथ ही साथ दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों / परिजनों को भी सुनियोजित ढंग से अपनीवित्तीय स्थित की योजनाएं बनाने हेतु सलाह दे सकें।



- 14. Always consult professional if we are in any doubt.
- 15. Be aware of all the money transactions and take note of how much are the outgoings by way of fees for all the trading. This will prevent from taking expensive decision that may backfire on us.

In addition to above, Welfare Officers of GCs/Units should advise NOKs/Dependents of deceased personnel to invest the dues/amount received by them in various investment schemes in proper manner to settle their liabilities and to secure future of their growing children.

Welfare Officers of Group Centres and Units should update themselves about various investment schemes introduced by Central/State Governments/Banks/Post Offices/Insurance Companies etc., and they may keep ready reckoner for advising serving personnel as well as NOKs of deceased personnel for proper financial planning to secure their future.

